विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/ 483 दिनांक :- 6.3.17

कार्यपरिषद्
का
बैठक का कार्य–विवरण

स्थान :– माधव भवन, उज्जैन

तिथि :– 06 फरवरी 2017
समय :– अपरान्ह : 04:00 बजे

–:: उपस्थिति :–

01.	प्रो. एस.एस.पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. बृजेन्द्र सिंह चौहान	सदस्य
03.	डॉ. बी.के. मेहता	सदस्य
04.	डॉ. नागेश शिन्दे	सदस्य
05.	डॉ. एच.पी. सिंह	सदस्य
06.	श्री हरनामसिंह यादव	सदस्य
07.	श्री सौरभ तिवारी	सदस्य
08.	श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
09.	सुश्री कविता सूर्यवंशी	सदस्य
10.	डॉ. लक्ष्मी दत्ता	सदस्य
11.	डॉ. उषा श्रीवास्तव (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग)	सदस्य
12	सुश्री आरती भार्मा (संयुक्त संचालक कोश एवं लेखा उज्जैन संभाग)	सदस्य
13.	डॉ. परीक्षित सिंह	कुलसचिव एवं सचिव

माननीय कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद के सभी सम्माननीय सदस्यों तथा डॉ. एच. पी. सिंह के पुनः सदस्य बनने पर बधाई के साथ सदस्यो का स्वागत किया गया एवं नवागत कुलसचिव डॉ. परीक्षित सिंहजी का परिचय सम्माननीय सदस्यो से कराया गया।

बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल महामहिम डॉ. भाई महावीर के दुःखद निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

विषय क्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03 दिसम्बर 2016 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार। (कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

निर्णय :– कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03 दिसम्बर 2016 के कार्यविवरण के पूरक कार्यसूची के विषय क्रमांक 5 में पुर्नविचार करने का निर्णय लेते हुए 03 दिसम्बर 2016 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15.11.2016,25.11.2016,09.12.2016, 29.12.2016 एवं 09.01.2017 के कार्य विवरणों पर विचार।
(कार्यविवरणों की प्रति संलग्न)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15.11.2016,25.11. 2016,09.12.2016, 29.12.2016 एवं 09.01.2017 के कार्य विवरणों को अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.03. शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)

बैठक की पूरक कार्यसूची

विषय क्र.01. दिनांक 07.02.2017 को आयोजित दीक्षांत समारोह में विभिन्न मदों में होने वोले व्यय की स्वीकृति पर विचार।

टिप्पणी :–उपरोक्त विशयान्तर्गत लेख है कि, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.06.2015 के पद क्रं.–02 में यह निर्णय लिया गया है कि, **विश्वविद्यालय के 22 वें दीक्षांत समारोह का आयोजन नवम्बर 2015 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाये, साथ ही समारोह का गरिमामय आयोजित करने हेतु देश, प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाये।**

02. विश्वविद्यालय के 22 वें दीक्षान्त समारोह का आयोजन अपरिहार्य कारणों से माह नवम्बर, 2015 के अंतिम सप्ताह में नहीं हो सका था, अब दीक्षांत समारोह का आयोजन दिनांक 07.02.2017 को किया जा रहा है।

03. दीक्षांत समारोह हेतु विभिन्न मदों में होने वाला संभावित व्यय निम्नानुसार है :–

1. समारोह में लगने वाले टेन्ट/लाईट व्यवस्था एवं विडियोग्राफी इत्यादि पर होने वाला व्यय राशि रूपये 1,10,000/–
2. आमंत्रण पत्र लिफाफे सहित की प्रिंटिंग एवं विभिन्न स्मारिका/पुस्तकों पर होने वाला व्यय राशि रूपये 1,33,950/–
3. समारोह में वितरित किये जाने वाले गोल्ड मेडल पर होने वाला व्यय राशिरूपये 2,00,000/–
4. समारोह के उपयोग में आने वाले किराये के गाउन पर होने वाला व्यय राशि रूप्ये 1,00,000/–

5. समारोह में स्वल्पाहार एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के भोजन पर होने वाला व्यय राशि रूपये 2,00,000/–
6. समारोह में पांच किराये के वाहनों पर होने वाला व्यय राशि रूपये 11,500/–
7. समारोह में पुलिस बैण्ड की व्यवस्था पर होने वाला व्यय राशि रूपये 5,000/–
8. समारोह में वितरित किये जाने वाली विभिन्न डिग्रीयों की जांच एवं डिग्रीयों को सतना से लाने पर होने वाला व्यय राशिरूपये 10,000/–
9. समारोह में आमंत्रित अतिविशिष्ट महानुभावों को दिये जाने वाले स्मृति–चिन्ह पर होने वाला व्यय राशिरूपये 1,00,000/–
10. समारोह में आने वाले विशिष्ट अतिथियों के स्वागत सत्कार पर होने वाला व्यय राशि रूपये 40,000/–
11. समारोह में होने वाला अन्य विविध व्यय राशि रूपये 89,550/–कुल संभावित व्यय राशिरूपये 10,00,000/–

04. यहां उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के नॉन–प्लान बजट के मद क्रं.–3(14)4 दीक्षांत समारोह हेतु व्यय में राशि रूपये 15.00 लाख का प्रावधान है 20 प्रतिशत अनिवार्य कटोत्रा घटाने के पश्चात राशि रूपये 12.00 लाख इस समारोह में होने वाले व्यय हेतु उपलब्ध है।

05. अतः दिनांक 07.02.2017 को आयोजित होने वाले 22 वें दीक्षांत समारोह पर होने वाले अनुमोनित व्यय राशि रूपये 10,00,000/– की स्वीकृति कार्यपरिषद् से लिये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव अनुसार दिनांक 07.02.2017 को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह हेतु विभिन्न मदों में होने वाले कुल व्यय रूपये 10.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–अकादमिक/लेखा विभाग)

विषय क्र.02. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, के एवं शा. माधव महाविद्यालय, उज्जैन/शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन में कार्यरत विश्वविद्यालयीन दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्र पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के आदेश के परिपालन में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई, एतद् सूचनार्थ।

टिप्पणी :–(1) विक्रम विश्वविद्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीद्वारों के आवेदनों का परीक्षण/निरीक्षण पश्चात समिति की बैठक दिनांक 22.12.2016 द्वारा की गई अनुशंसा के परिपालन में आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2017/2305,दिनांक 18.01.2017 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।

(2) शा.माधव महाविद्यालय,उज्जैन एवं शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन में कार्यरतदिवंगत विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा एवं प्राचार्य से अग्रेषित अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन को विश्वविद्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 9.01.17 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक 5124/13 एवं याचिका क्रमांक 988/15 में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में एवं लिये गये

विधिक अभिमत के परिपालन में आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2017/2303 दिनांक 18.01.17 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। एतद् सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, के एवं शा. माधव महाविद्यालय, उज्जैन/शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन में कार्यरत विश्वविद्यालयीन के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्र पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 9.01.17 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक 5124/13 एवं याचिका क्रमांक 988/15 में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में एवं लिये गये विधिक अभिमत के परिपालन में आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2017/2303,दिनांक 18.01.17 द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.03. श्री कमल बुनकर, प्राध्यापक कम्प्यूटर विज्ञान संथान को पीएच.डी. शोध कार्य हेतु छः माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाने पर विचार।

टिप्पणी :–श्री कमल बुनकर, प्राध्यापक, कम्प्यूटर विज्ञान संस्थान को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में पीएच.डी.शोध कार्य करने हेतु छः माह का अध्ययन अवकाश हेतु विभागाध्यक्ष से अग्रेषित पत्र दिनांक 06.05.2016 प्रस्तुत किया गया है।

श्री कमल बुनकर प्राध्यापक, कम्प्यूटर विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं को पूरित करने तथा अकादमिक उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में परिनियम 31(54(सी) के अनुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि श्री कमल बुनकर, प्राध्यापक, कम्प्यूटर विज्ञान संस्थान को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में पीएच.डी. शोध कार्य करने हेतु प्रस्ताव अनुसार छः माह का अध्ययन अवकाश नियमों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.04. वि वविद्यालय में म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल से क्रय की गयी स्टेशनरी सामग्री रुपये 5,20,679/– के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

टिप्पणी :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, सत्र 2016–17 में विश्वविद्यालय में एमपीएलयूएन के माध्यम से स्टेशनरी सामग्री रुपये 5,20,679/– का क्रय किया गया। निम्नानुसार देयक भुगतान हेतु प्राप्त हुये है :–

1.	देयक क्रं./52759,दिनांक 14.07.2016	रुपये 3,48,717.83/–
2.	देयक क्रं./52760,दिनांक 14.07.2016	रुपये 85,861.83/–
3.	देयक क्रं./52735,दिनांक 14.07.2016	रुपये 86,100/–
	कुल योग	**रुपये 5,20,679**

02. अतः म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल को रूपये 5,20,679/– के भुगतान की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– उक्त प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र. लघु उद्योग निमम, भोपाल से क्रय की गयी सामग्री रूपये 5,20,679/– की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–लेखा/भंडार विभाग)

विषय क्र.05. डॉ. मेघा पाण्डे, प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन अध्ययनशाला को मध्यप्रदेश राज्य आनन्द संस्थान, भोपाल द्वारा उप–निदेशक के पद पर चयनित होने के उपरान्त विश्वविद्यालय से कार्यमृक्त होने की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि के लिए स्वत्वभार (लियन) की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

टिप्पणी :–डॉ. मेघा पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 17.01.2017 के अनुसार मध्यप्रदेश आनन्द संस्थान, भोपाल में उप–निदेशक, के पद हेतु अग्रिम आवेदन पत्र दिनांक 02.09. 2016 को प्रेशित किया है। विश्वविद्यालय,के परिनियम 31, की धारा 11 के अनुसार :–

"On confirmation on a permanent post, University employee acquires a Lien on that post. A University employee holding a permanent post substantively. If appointed substantively to another Post, acquires a Lien on the second post and ceases to hold any Lien on the first one." जिसमें लियन स्वीकृति करने का प्रावधान है। डॉ. मेघा पाण्डे,प्राध्यापक,राजनीति एवं लोकप्रशासन अध्ययनशाला,के confirmation की प्रक्रिया लंबित है।

प्रकरण स्वत्वभार (लियन) से संबंधित न होकर डॉ. मेघा पांडे के म.प्र. शासन में आनंद संस्थान, भोपाल में उपनिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर प्रस्थित होने के संबंध में है।

अतः डॉ. मेघा पांडे, प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन, अध्ययनशाला के 02 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि डॉ. मेघा पाण्डे, प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन अध्ययनशाला के प्रकरण को लियन से ना जोड़ा जाये। यह मध्यप्रदेश राज्य आनन्द संस्थान, भोपाल के अनुरोध पर डॉ. मेघा पांडे को उप–निदेशक के पद पर चयनित होने के उपरान्त विश्वविद्यालय से कार्यमृक्त होने की दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिए नियमानुसार प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.06. विश्वविद्यालय के पुराने तीन वाहनों को नीलाम करते हुये डी.जी.एस.एण्ड डी दरों पर तीन नये वाहन का क्रय करने की स्वीकृति बाबत्।

टिप्पणी :–उपरोक्त विशयान्तर्गत लेख है कि,पूर्व में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.08.2014 के पद क्रं.–06 पर लिये गये निर्णयानुसार कुल चार अनुपायोगी वाहनों की नीलामी की कार्यवही करते हुये तीन वाहनों को नीलाम किया गया एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन उपरांत डीजीएस एण्ड डी दरों पर कुल दो नये वाहन (महेन्द्रा बुलेरो) का क्रय किया गया। पूर्व में अनुपयोगी हुडई एसेंट कार की नीलामी करने पर किसी भी निविदाकार द्वारा इस वाहन के लिये कोई निविदा प्रस्तुत नहीं की गयी, जिसक कारण यह वाहन पूर्व में नीलाम नहीं हो सकी। वर्तमान में वाहन के साथ दो अन्य महेन्द्रा बलेरो वाहन भी पुराने होकर अत्यधिक चल चुके हैं, अतः इन वाहनों को भी अनुपयोगी घोशित करते हुये नीलामी की जाना प्रस्तावित है। वाहनों का विवरण इस प्रकार हैं :–

क्रं.	वाहन का नाम	वाहन क्रमांक	मॉडल वर्ष	किलो मीटर
12.	हुंडई एसेंट कार	एम.पी.–13–डी–5506	मॉडल वर्ष 2005	165000 कि.मी.
13.	महिन्द्रा बुलेरो	एम.पी.–13–सी–5643	मॉडल वर्ष 2005	620000 कि.मी.
14.	महिन्द्रा बुलेरो	एम.पी.–13–बीए–0286	मॉडल वर्ष 2007	556780 कि.मी.

02. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि उक्त तीनों वाहन अपनी निर्धारित आयु से काफी अधिक चल चुके है, अतः इन वाहनों को अनुपयोगी घोषित करते हुये नियमानुसार इनकी नीलामी किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव अनुसार हुंडई एसेंट कार, एमपी–13डी–5506 तथा दो महेन्द्रा बुलेरों वाहन क्रं./एमपी–13–सी–5643 एवं वाहन क्रं./एमपी–13बीए–0286 को नियमानुसार अनुपयोगी घोषित करते हुये, इन वाहनों की नीलामी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यपरिषद् द्वारा इन तीन वाहनों के नीलाम होने के उपरांत नियमानुसार डीजीएसएण्डडी दर पर तीन नये वाहनों को क्रय करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। साथ ही कुलपतिजी/कुलसचिवजी के उपयोगार्थ इनोवा/सफारी/स्कॉरपियो वाहन क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय में जब तक इन वाहनों का क्रय नहीं होता है तो उपरोक्त वाहन/इनके समतुल्य वाहन किराये पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–भंडार/यांत्रिकी/गोपनीय/लेखा विभाग)

बैठक के अंत में चर्चा के दौरान कुलपतिजी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014–2015 में स्वर्ण पदक के लिये पात्र छात्र–छात्राओं को जो दीक्षान्त समारोह में शामिल नहीं हो सके उन्हें भी आगामी वर्ष में जब भी विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जायेगा प्रदक प्रदान किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विषय में स्वर्ण पदक प्रदान करने का प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति **कुलसचिव**

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/ 973 दिनांक :- 17-4-17

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2017 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2017 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/ 974 दिनांक :- 17-4-17

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

17/4

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

Dextop/P.Meeting/16

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्मिलन / 2017 / 734 दिनांक 6/4/17

कार्यपरिषद
की
बैठक का कार्यविवरण

स्थान :– माधव भवन, उज्जैन

तिथि :– 24.03.2017
समय :– अपराह्न 12:00 बजे

उपस्थिति :–

01.	प्रो. एस.एस.पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. बी.के. मेहता	सदस्य
03.	डॉ. नागेश शिन्दे	सदस्य
04.	डॉ. एच. पी. सिंह	सदस्य
05	श्री सौरभ तिवारी	सदस्य
06.	श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
07.	सुश्री कविता सूर्यवंशी	सदस्य
08.	श्री जे. एस. भदौरिया [illegible]	सदस्य
09.	डॉ. परीक्षित सिंह	कुलसचिव एवं सचिव

कार्यपरिषद की बैठक प्रारम्भ से पूर्व माननीय कुलपतिजी [illegible] सदस्यों का स्वागत किया तथा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह [illegible] सदस्यों तथा तत्कालीन सदस्य (श्री हरनाम सिंह यादव, डॉ. राजेश शर्मा [illegible] द्वारा अपनी भागीदारी एवं सहयोग के लिये माननीय कुलपतिजी द्वारा [illegible] किया। इसके पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

विषय क्र.01. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06फरवरी 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि [illegible]
(कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

सम्माननीय सदस्य डॉ. नागेश शिन्दे द्वारा कार्यपरिषद की बैठक [illegible] के कार्यविवरण में पंक्ति में [illegible] म.प्र. के पूर्व राज्यपाल एवं विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के कुलाधिपति महामहिम डॉ. भाई महावीर [illegible] अवगत कराया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि सम्माननीय सदस्य द्वारा [illegible] कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06 फरवरी 2017 के कार्यविवरण की [illegible]

(क्रियान्वयन [illegible])

VU-EC-24 March-17

विषय क्र.02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 17.02.2017, 01.03.2017 एवं आपात बैठक दिनांक 13.02.017,20.02.017,एवं 21.02.017 के कार्य विवरणों पर विचार।
(काय विवरणों की प्रति पटल पर प्रस्तुत की जावेगी)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक [illegible] 01.03.2017, एवं आपात बैठक दिनांक 13.02.017,20.02.017,एवं 21.02.017 के कार्य विवरणों को अनुमोदित किया जाये।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.03. शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के [illegible] गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि को सूचना ग्राहय की जाये।

(क्रियान्वयन- गोपनीय विभाग)

विषय क्र.04. जिला न्यायालय एवं उपभोक्ता फोरम में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में [illegible] पक्ष प्रतिरक्षण करने हेतु नियुक्त अधिवक्ता को प्रदान किये जाने वाले मानदेय पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि जिला न्यायालय एवं उपभोक्ता फोरम में विचाराधीन विभिन्न [illegible] में विश्वविद्यालय का पक्ष प्रतिरक्षण करने हेतु नियुक्त अधिवक्ता को मानदेय [illegible] अधिवक्ता को प्रत्येक प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत कराने [illegible] राशि रूपये 5000/– प्रति प्रकरण मानदेय दिये जाने की स्वीकृति [illegible]

(क्रियान्वयन--प्रशासन / विधि / लेखा विभाग)

विषय क्र.05. बजट वित्तीय वर्श 2016--17 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमान तथा [illegible] 2017–18 के मूल वित्तीय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 [illegible] विचार।
टीपः– बैठक में श्री पी. के. शर्मा, वित्त नियंत्रक विक्रम विश्वविद्यालय [illegible] रूप से उपस्थिती रही। वित्त नियंत्रक द्वारा वर्ष 2017-18 के [illegible] डालते हुए बजट का प्रस्तुतीकरण किया गया। [illegible] अवगत कराया कि विश्वविद्यालय को मिलने वाली राशि की [illegible] परिहार धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके प्रयास एवं लगन से तैयार [illegible] कार्यालय द्वारा सराहा गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2017 [illegible] गई अनुशंसानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमान [illegible] वर्ष 2017–18 के मूल वित्तीय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 [illegible] का अनुमोदन किया जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन / लेखा विभाग)

विषय क्र.06. भवन समिति की बैठक दिनांक 03.02.2017 के कार्यविवरण पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि भवन समिति की बैठक दिनांक 03.02.2017 में समिति द्वारा [illegible] अनुशंसा के कार्यविवरण का अनुमोदन किया जावे।

(क्रियान्वयन–यांत्रिकी / विकास / लेखा विभाग)

विषय क्र.07. डॉ. एस.के.मांजू के निलंबन के प्रकरण पर कुलपतिजी द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) पर प्रदान किये गये आदेश की सूचना [illegible]

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि सूचना ग्राह्य की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

कार्यपरिषद् की बैठक की पूरक कार्य सूची

विषय क्र.01. माह मई--जून, 2017 सेमेस्टर परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं हेतु उत्तर--पुस्तिकाओं के क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार।

टिप्पणी :– उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माह मई--जून 2017 सेमेस्टर [illegible] आगामी परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार उत्तर-पुस्तिकाओं [illegible] वि वविद्यालय को है।

1. मुख्य उत्तर--पुस्तिका, 24 पेज 3.00 लाख
2. पूरक उत्तर--पुस्तिका, 12 पेज 4.00 लाख
3. यूजी उत्तर--पुस्तिका, 40 पेज 4.50 लाख
4. पीजी उत्तर--पुस्तिका, 40 पेज 1.00 लाख

2. यहां उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017--18 में उत्तर-पुस्तिका के क्रय हेतु [illegible] ई--निविदा जारी की गयी थी। तृतीय आमंत्रण पर निम्नानुसार चार फर्मों के प्रस्ताव प्राप्त हुये :–

   1. कैलाश प्रिन्टिंग प्रेस,भोपाल
   2. बिन्दिया इन्टरप्राइजेस, खेड़ा गुजरात
   3. एम.एल.पेपर कन्वरट, लखनऊ
   4. गोसपल प्रेस, लखनऊ

3. विश्वविद्यालय की उच्च क्रय समिति की आयोजित बैठक दिनांक [illegible] 2017 में न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्म मे. एम.एल. पेपर कन्वरट [illegible] --पुस्तिकाओं के क्रय की अनुशंसा की गयी। प्राप्त न्यूनतम दरें [illegible] :–

1. मुख्य उत्तर–पुस्तिका, 24 पेज 3605/– प्रति हजार
2. पूरक उत्तर–पुस्तिका, 12 पेज 1975/– प्रति हजार
3. यूजी उत्तर–पुस्तिका, 40 पेज 5755/– प्रति हजार
4. पीजी उत्तर–पुस्तिका, 40 पेज 5755/– प्रति हजार

4. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि, विभिन्न उत्तर–पुस्तिकाओं हेतु [illegible] प्राप्त न्यूनतम दर पर बिन्दु क्र.–01 में दर्शायी उत्तर–पुस्तिकाओं की [illegible] कोट करने वाली फर्म मे. एम.एल. पेपर कन्वरट, लखनऊ से उत्तर–पुस्तिका क्रय [illegible] लगभग राशि रूप्ये 50,36,500/– का व्यय होगा। यहां उल्लेखनीय है कि, वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में उत्तर–पुस्तिकाओं का क्रय न्यूनतम दर बतलाने वाली फर्म मे. एम. एल. पेपर कन्वरट, लखनऊ से करने पर राशि रूपये 50,36,500/– की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि माह मई–जून, 2017 सेमेस्टर परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं [illegible] लाख उत्तर–पुस्तिकाओं के क्रय न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्म मे. एम.एल. पेपर कन्वरट, लखनऊ से करने हेतु राशि रूपये 50,36,500/– की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान जाती है।

(क्रियान्वयन–मुद्रणालय/परीक्षा/गोपनीय/ लेखा विभाग

विषय क्र.02. वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यपरिषद् द्वारा दी गयी प्रशासकीय स्वीकृति [illegible] वर्श 2017–18 में मान्य करने बाबत।

टिप्पणी :– उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यपरिषद द्वारा विभिन्न प्रकरणो में दी गयी प्रशासकीय स्वीकृतियों को आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में भी मान्य करने के लिये प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यपरिषद् द्वारा [illegible] प्रशासकीय स्वीकृतियो को आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में मान्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1 फरवरी, 2017 में आयोजित दीक्षांत समारोह के आयोजन [illegible] वाले कुल व्ययो की प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 10.00 लाख।
2 एसओईटी की विभिन्न प्रयोगशाला हेतु नियमानुसार [illegible] प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 52,90,095/–
3 वर्ष 2016–17 के लिये रासेयो के विशेष शिविर एवं नियमित [illegible] रासेयो युक्त संस्थाओं को रूपये 43,62,650/– कि [illegible] प्रशासकीय/भुगतान की वित्तीय स्वीकृति।
4 विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में आरटीडी लेब हेतु [illegible] की प्रशासकीय स्वीकृति।
5 प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में रूसा कम्पोनेंट–8 [illegible] अनुदान) के अंतर्गत लेब उपकरण तथा पुस्तकों [illegible] मदों में नवीन सुविधा एवं उपकरणों के [illegible] की प्रशासकीय [illegible]

6 एसओईटी के छात्र/छात्राओं के वाहनों हेतु व्हीकल शेड के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 13.00 लाख।

उपरोक्तानुसार विभिन्न मदों में भुगतान की प्रशासकीय स्वीकृति को मान्य किया जावे।

(क्रियान्वयन-लेखा विभाग)

विषय क्र.03. डॉ. जे.पी.पोरवाल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के [illegible] से ग्रेज्युटी एवं नगदीकरण का विश्वविद्यालय स्तर से भुगतान करने पर विचार।

टिप्पणी :– डॉ. जे.पी. पोरवाल, सेवानिवृत्त, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय [illegible] के छठे वेतन से ग्रेज्युटी एवं नगदीकरण भुगतान के संबंध में [illegible] खण्डपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक/डब्ल्यू.पी./4289/13 [illegible] सेवानिवृत्त स्वत्वों के भुगतान बाबत शासन को निर्देश प्रदान किया गया है। [illegible] संचालक, वित्त के पत्र क्रं. 94, दिनांक 20.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर से डॉ. पोरवाल को भुगतान करने के निर्देश दिए गए है इस संबंध में उनके द्वारा स्मरण पत्र (1) क्र. 146,दिनांक 1.2.2017 एवं स्मरण पत्र (2) क्रं. 2, दिनांक 13.02.2017 भी प्रेषित किया गया है।

प्रकरण की वस्तु स्थिति यह है कि, डॉ. पोरवाल, माधव विज्ञान महाविद्यालय [illegible] सेवानिवृत्त हुए है एवं उन्हें पूर्व में पांचवे वेतन में शासन स्तर से [illegible] गया था, जिसके लिए शासन द्वारा वर्ष 2012 में विश्वविद्यालय को [illegible] समायोजित कर समस्त माधव महाविद्यालय एवं माधव विज्ञान महाविद्यालय के [illegible] कर्मचारियों का भुगतान किया गया था एवं विश्वविद्यालय द्वारा केवल [illegible] में आदेश प्रदान किये जाने के फलस्वरूप भुगतान किया जा रहा है।

प्रकरण अवर सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग, [illegible] प्रस्तुत किया गया है। एतद् विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– डॉ. जे.पी. पोरवाल, सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के [illegible] में पेंशन के भुगतान से संबंधित प्रकरण पर कार्यपरिषद द्वारा गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। कार्यपरिषद का मानना है कि चूंकि संबंधित प्रकरण में आयुक्त [illegible] विभाग द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को भुगतान करने के निर्देश दिये है [illegible] प्रकरण में अवमानना प्रकरण भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रचलन में है।

अतः कार्यपरिषद् निर्णय लेती है कि डॉ. जे.पी. पोरवाल, का छठे [illegible] पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने की स्वीकृति माननीय [illegible] अवमानना के प्रकरण को देखते हुए इस शर्त के साथ प्रदान करती है कि विश्वविद्यालय द्वारा दी गई उक्त पेंशन की बकाया राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन से प्राप्त [illegible] इस बाबत् राज्य शासन को तत्काल पत्र भेजा जावे, क्योंकि पेंशन का [illegible] विश्वविद्यालय स्तर से न किया जाकर राज्य शासन स्तर से किया जाता है। [illegible] माननीय न्यायालय की अवमानना न हो इस [illegible] उदाहरण ना माना जावे।

(क्रियान्वयन--प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र.04. डॉ. एम. एस. परिहार, आचार्य,प्राणिकी अध्ययनशाला की पूर्व की सेवाओं को सम्मिलित करने के प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी :– डॉ.एम.एस.परिहार,आचार्य,पूर्व में माधव विज्ञान महाविद्यालय [illegible] दिनांक 16.07.1981 से 07.04.1992 तक सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत [illegible] पश्चात दिनांक 08.04.1992 से विक्रम विश्वविद्यालय में प्राणिकी अध्ययनशाला में [illegible] के पद पर कार्य ग्रहण कर किया गया। डॉ.एम.एस.परिहार,आचार्य,प्राणिकी अध्ययनशाला की पूर्व की सेवाओं को सम्मिलित करने पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि डॉ. एम. एस. परिहार, आचार्य प्राणिकी अध्ययनशाला की पूर्व की सेवाओं को सम्मिलित करने के प्रकरण के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया [illegible]

(क्रियान्वयन--प्रशासन विभाग)

विषय क्र.05. परिनियम क्रमांक 28 के प्रावधानानुसार 25 महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य/शिक्षकों [illegible] नहीं करवाया गया है। मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल [illegible] क्रमांक / 2549 / 199 / 16 / सी.सी. / अडतीस,भोपाल,दिनांक 04.11.2016 [illegible] महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर की परीक्षा के फार्म स्वीकार नहीं [illegible] जायेंगे, एतद्सूचनार्थ।

टिप्पणी :–उपरोक्त 25 महाविद्यालयों की सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि परिनियम क्रमांक 28 के प्रावधानानुसार 25 महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य/शिक्षकों का चयन नहीं करवाया गया है। इन महाविद्यालयों [illegible] शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा विश्वविद्यालय [illegible] 04.11.2016 अनुसार कार्यवाही कर इनके आगामी सेमेस्टर परीक्षा के फार्म [illegible] किये जावें। साथ ही यह भी निर्णय लिया जाता है कि भविष्य में शासन द्वारा [illegible] नवीन निर्देश दिये जाते हैं अथवा छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त महाविद्यालय [illegible] छात्रों के फार्म स्वीकार करने संबंधी उचित निर्णय लिये जाने हेतु माननीय कुलपति [illegible] अधिकृत किया जाता है।

(क्रियान्वयन--अकादमिक / परीक्षा विभाग)

विषय क्र.06. श्री मांगीलाल डोडिया, प्रयोगशाला परिचारक, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति व्यय कुल राशि रुपये 120979.60 की स्वीकृति देने पर विचार।

टिप्पणी :–विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र अध्ययनशाला में कार्यरत श्री मांगीलाल डोडिया द्वारा अपने हृदय रोग का इलाज सीएचएल अस्पताल, इन्दौर में करवाये जाने पर हुये कुल व्यय राशि रुपये 155289.60 की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया है।

2. यहां उल्लेखनीय है कि श्री डोडिया द्वारा अपने हृदय रोग के [illegible] हुआ है, उसका विवरण इस प्रकार है :–

1.	एंजिओ प्लास्टी पर व्यय	रुपये 132310/–
2.	दवाईयों पर व्यय	रुपये 22979.60
	कुल योग	रुपये 155289.60

3. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि उपकुलसचिव, प्रशासन विभाग द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया था कि संबंधित प्रकरण में वह अपना अभिमत प्रदान करने का कष्ट करें। [illegible] संचालक द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.09.2016 द्वारा प्रकरण मूलतः वापिस कर [illegible] किया गया कि उनकी समिति को विश्वविद्यालय/बोर्ड/मण्डल/निगम/ [illegible] अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के देयक पारित करने के अधिकार नहीं है, अतः प्रस्तुत प्रकरण आपकी ओर वापिस कर लेख किया गया है कि विक्रम विश्वविद्यालय को प्राप्त अधिकार पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि सिविल सर्जन के मुख्य अस्पताल अधीक्षक [illegible] उज्जैन द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.01.2017 में यह उल्लेख किया है [illegible] सोनानीया, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जिला चिकित्सालय, उज्जैन द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति [illegible] अवलोकन (परीक्षण) किया गया, श्री मांगीलाल डोडिया, प्रयोगशाला परिचारक को हृदय रोग होने के कारण सी.एच. अपोलो हॉस्पिटल, उज्जैन/इन्दौर में उपचार किया गया जो उचित है, हृदय घात गंभीर बिमारी की श्रेणी मे आता है, अतःम.प्र.नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावें।

5. म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञाप दिनांक 26.08.2013 के अनुसार ऐंजिओ प्लास्टी मय स्टंट हेतु प्रतिपूर्ति योग्य राशि की निर्धारित सीमा [illegible] 98000/- है, जबकि श्री डोडिया द्वारा करायी गयी ऐंजिओ प्लास्टी हेतु [illegible] कुल व्यय रुपये 132310/- की प्रतिपूर्ति चाही गयी है। उक्त ज्ञाप अनुसार [illegible] के अन्दर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची में सीएच अस्पताल इन्दौर एवं [illegible] मेडिकल सेंटर, नानाखेड़ा, उज्जैन शामिल हैं। श्री डोडिया द्वारा अपना [illegible] अस्पताल, इन्दौर में करवाया गया है, अतः श्री डोडिया को ऐंजिओ प्लास्टी [illegible] रुपये 98000/- की प्रतिपूर्ति ही मान्य हो सकती है, तथा श्री डोडिया [illegible] इलाज की दवाईयों पर हुया व्यय रुपये 22979.60 चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमानुसार [illegible] योग्य है।

6. यहां यह उल्लेखनीय है कि सीएचएल अस्पताल, इन्दौर के देयकों पर सिविल सर्जन मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन के प्रति हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन सीएचएल [illegible] द्वारा इन देयकों को प्रमाणित किया गया है। अतः श्री डोडिया के हृदय रोग पर हुये कुल व्यय रुपये 120979.60 की स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि श्री मांगीलाल डोडिया, प्रयोगशाला परिचारक [illegible] अध्ययनशाला के चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति व्यय की नियमानुसार [illegible] 1,20,979.60 की स्वीकृति प्रदान की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र.07. डॉ. श्रीमती भागीरथी अम्मा सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय [illegible] वेतन में पेंशन के भुगतान पर विचार।

टिप्पणी :– डॉ. श्रीमती भागीरथी अम्मा सेवानिवृत्त शासकीय [illegible] महाविद्यालय उज्जैन के छठे वेतन में पेंशन/ग्रेच्युटी/अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबध में आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 205 दिनांक 07.02.2017 के अनुसार [illegible] भागीरथी अम्मा को छठे वेतन में सेवानिवृत्ति दिनांक से पेंशन/ग्रेच्युटी/अवकाश नगदीकरण के भुगतान हेतु विक्रम विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है।

प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है डॉ. भागीरथी अम्मा द्वारा [illegible] के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्रमांक [illegible] दायर की गई थी जिसमें कि प्रकरण को याचिका क्रमांक 12169/2013 [illegible] एन.गुप्ता के संबंध में थी उक्त प्रकरण को उसी प्रकृति का मान कर उसमें हुए आदेश दिनांक 03.02.2015 के आलोक में प्रकरण में निराकृत कर संपूर्ण स्वत्वों के भुगतान करने हेतु शासन को निर्देश प्रदान किए गए थे परन्तु न्यायालयीन प्रकरण में विधिक अभिमत अनुसार एंव माननीय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार एंव शासन द्वारा अन्य प्रकरणों में ग्रेज्यूटी एंव अवकाश नगदीकरण के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को निर्देश [illegible] कारण डॉ. भागीरथी अम्मा को ग्रेज्युटी एंव अवकाश नगदीकरण का भुगतान [illegible] द्वारा किया गया था।

उक्त न्यायालयीन याचिका क्रमांक 12169/2013 के निर्णय दिनांक 03.02.2015 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय डिविजन बैन्च में शासन की अपील क्रमांक 372/2015 दायर की गई जो की माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गई एंव मूल याचिका 12169/2013 को ही मान्य किया गया।

यहा यह भी उल्लेखीय हे कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा [illegible] प्रकरण में डब्ल्यू.ए. 372/2015 निर्णय दिनांक 29.01.2016 अनुसार [illegible] भुगतान के निर्देश दिये गये थे फलस्वरूप शासन द्वारा ही डॉ. एस.एन.गुप्ता का [illegible] किया गया एंव डॉ. अम्मा के प्रकरण में भी न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.ए. 401/2016 [illegible] दिनांक 07.10.2016 के अंतर्गत डॉ.गुप्ता के निर्णयानुसार भुगतान के निर्देश दिये गये हैं।

शासन द्वारा अपने उक्त पत्र द्वारा डॉ. भागीरथी अम्मा को विश्वविद्यालय स्तर पर भुगतान हेतु लिखा गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपतिजी द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15/4 के तहत भुगतान की अनुमति प्रदान [illegible] सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– डॉ. श्रीमती भागीरथी अम्मा सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय [illegible] वेतन में पेंशन के भुगतान से संबधित प्रकरण पर कार्यपरिषद द्वारा [illegible] विचार–विमर्श किया गया। कार्यपरिषद का मानना है कि चूंकि [illegible] उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को भुगतान करने के [illegible] तथा इस प्रकरण में अवमानना प्रकरण भी माननीय उच्च न्यायालय [illegible]

अतः कार्यपरिषद् निर्णय लेती है कि डॉ. श्रीमती भागीरथी अम्मा [illegible] वेतनमान में देय पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने की स्वीकृति [illegible] न्यायालय में अवमानना के प्रकरण को देखते हुए इस शर्त के साथ प्रदान [illegible] विश्वविद्यालय द्वारा दी गई उक्त पेंशन की बकाया राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन से प्राप्त की जावे। इस बाबत् राज्य शासन को तत्काल पत्र भेजा जावे, क्योंकि पेंशन का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर से न किया जाकर राज्य शासन स्तर से किया जाता है। उक्त भुगतान माननीय न्यायालय की अवमानना न हो इस कारण किया जा रहा है इसे भविष्य में पूर्व उदाहरण ना माना जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन / लेखा विभाग)

विषय क्र.08 माधव विज्ञान महाविद्यालय से सेवानिवृत्त 06 प्राध्यापकों के [illegible] ग्रेज्युटी/नगदीकरण एवं पेंशन के भुगतान के संबंध में विचार।

टिप्पणी :– माधव विज्ञान महाविद्यालय से सेवानिवृत्त 06 [illegible] पेंशन/ग्रेज्युटी/नगदीकरण के भुगतान हेतु कार्यालय अतिरिक्त [illegible] उज्जैन द्वारा संलग्न पत्र क्र. 2659, दि. 2.3.17 विश्वविद्यालय में [illegible]

प्रकरणों में अवमानना की स्थिति अनुसार अतिशीघ्र कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है। उक्त 6 प्रकरणों की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. डॉ. श्रीमती भागीरथी अम्मा नायर :-इन्हें छठे वेतन में ग्रेच्युटी/[illegible] भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है एवं पेंशन एवं पेंशन [illegible] हेतु शासन के पत्र क्रं. 205 दि. 7.2.2017 के परिपेक्ष्य में [illegible] महोदय विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15/4 अनुसार [illegible] प्रदान की गई है जो प्रकरण कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है

2. प्रो. नवीन भटनागर :-म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में दायर याचिका क्र. 2849/16 पर माननीय न्यायालय द्वारा शासन को सेवानिवृत्त स्वत्वों के भुगतान बाबत निर्देशित किया गया। तत्पश्चात छठे वेतन में ग्रेज्युटी/नगदीकरण के भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है एवं पेंशन/पेंशन एरियर्स का मामला पत्रक कार्यालय अतिरिक्त सचालक, उज्जैन संभाग, [illegible] एवं अपर संचालक, वित्त, भोपाल को पत्र क्रं. 2663, दि. 2.3.2017 [illegible] किया गया है फलस्वरूप अवर संचालक, वित्त, भोपाल द्वारा [illegible] पत्रक अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन को [illegible] दि. 19.3.17 द्वारा प्रेषित कर विश्वविद्यालय स्तर से कार्यवाही [illegible] है, जिसकी प्रतिलिपि क्रं. 353,दि.19.3.17 ई-मेल द्वारा अतिरिक्त [illegible] संभाग, उज्जैन द्वारा विश्वविद्यालय को भेजी गई है। कार्यालय [illegible] मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल [illegible] क्रमाक/322/आउशि/पेंशन/2017 दिनांक 23.03.2017 [illegible] नवीन भटनागर के पेंशन/ग्रेज्युटि/अवकाश नगदीकरण [illegible] विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के स्वयं के स्त्रोतों से करने का उल्लेख किया गया है

3. प्रो. रमाकान्त नागर :- म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में [illegible] क्रं. 3476/16 पर माननीय न्यायालय द्वारा शासन को [illegible] भुगतान बाबत निर्देशित किया गया तत्पश्चात छठे वेतन में [illegible] का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है एवं पेंशन/पेंशन एरियर्स [illegible] पत्रक कार्यालय अतिरिक्त संचालक, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा [illegible] एवं अपर संचालक, वित्त, भोपाल को पत्र क्रं. 2663, दि. 2.3.2017 [illegible] किया गया है फलस्वरूप अवर संचालक, वित्त, भोपाल द्वारा [illegible] पत्रक अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन [illegible] दि. 19.3.17 द्वारा प्रेषित कर विश्वविद्यालय स्तर से [illegible] है, जिसकी प्रतिलिपि क्रं. 353,दि.19.3.17 ई-मेल द्वारा अतिरिक्त [illegible] संभाग, उज्जैन द्वारा विश्वविद्यालय को भेजी गई है। कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल [illegible] क्रमांक/324/आउशि/पेंशन/2017 दिनांक 23.03.2017 [illegible] प्रो. रमाकान्त नागर के पेंशन/ग्रेज्युटि/अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के स्वयं के स्त्रोतों से करने का उल्लेख किया गया है

4. डॉ. जे.पी.एन. पाठक :-म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर [illegible] 3922/16 पर माननीय न्यायालय द्वारा शासन को सेवानिवृत्त [illegible]

बाबत निर्देशित किया गया तत्पश्चात छठे वेतन में ग्रेज्युटी/नगदीकरण का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है एवं पेंशन/पेंशन एरियर्स का [illegible] पत्रक कार्यालय अतिरिक्त संचालक, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा तयार किया [illegible] एवं अपर संचालक, वित्त, भोपाल को पत्र क्रं. 2663, दि 2.3.2017 [illegible] किया गया है फलस्वरूप अवर संचालक, वित्त, भोपाल द्वारा [illegible] पत्रक अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन को पत्र क्र 352 दि 19.3.17 द्वारा प्रेषित कर विश्वविद्यालय स्तर से कार्यवाही [illegible] हेतु [illegible] है जिसकी प्रतिलिपि क्रं. 353,दि.19.3.17 ई–मेल द्वारा अतिरिक्त संचालक, [illegible] संभाग, उज्जैन द्वारा विश्वविद्यालय को भेजी गई है। कार्यालय आयुक्त [illegible] मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल [illegible] क्रमांक/320/आउशि/पेशन/2017 दिनांक 23.03.2017 [illegible] जे.पी.एन. पाठक के पेंशन/गेज्युटि/अवकाश नगदीकरण की राशि का [illegible] विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के स्वयं के स्त्रोतों से करने का उल्लेख किया गया है

5. डॉ. कल्पना मुखर्जी :–माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका 5653/16 में [illegible] को सेवानिवृत्ति स्वत्वों के भुगतान हेतु आदेश प्रदान किए गए हैं, [illegible] अभिमत हेतु प्रस्तुत की गई है। शासन से विश्वविद्यालय को इस [illegible] पत्र/निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

6. डॉ. एस.एन. कक्कड :– डॉ. कक्कड को छठे वेतन से पेंशन/ग्रेज्युटी/[illegible] के भुगतान हेतु याचिका क्रं. 8242/12 में माननीय उच्च न्यायालय [illegible] शासन को दिए गए है। इन्हें पूर्व में [illegible] वेतन से ग्रेज्युटी [illegible] भुगतान शासन द्वारा किया गया है एवं छठे वेतन से भुगतान [illegible] से विश्वविद्यालय को इस बाबत कोई पत्र/निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उक्त प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार किया गया एवं बिंदुवार निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

बिंदु क्रमांक–1 के संबंध में बैटक के पूरक कार्यसूची के विषय क्रमांक 7 के अंतर्गत पृथक से निर्णय लिया गया है।

बिंदू क्रमाक–2, 3 एवं 4 के अंतर्गत प्रो नवीन भटनागर, प्रो. [illegible] डॉ. [illegible] पाठक सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के [illegible] में पेंशन के भुगतान से संबंधित प्रकरण पर कार्यपरिषद् द्वारा गंभीरता से विचार [illegible] किया गया। कार्यपरिषद का मानना है कि चूंकि संबंधित प्रकरण में आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को भुगतान करने के निर्देश [illegible] प्रकरण में अवमानना प्रकरण भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रचलन में है।

अतः कार्यपरिषद् निर्णय लेती है कि प्रो नवीन भटनागर, प्रो. [illegible] डॉ. जे.पी.एन. पाठक को छठे वेतनमान में देय पेंशन की बकाया राशि [illegible] की स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना के प्रकरण को [illegible] साथ प्रदान करती है कि विश्वविद्यालय द्वारा दी गई उक्त [illegible] प्रतिपूर्ति राज्य शासन से प्राप्त की जावे। इस बाबत राज्य शासन [illegible] जावे, क्योंकि पेंशन का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर से न किया [illegible]

से किया जाता है। उक्त भुगतान माननीय न्यायालय की अवमानना से [illegible] जा रहा है इसे भविष्य में पूर्व उदाहरण ना माना जावे।

बिंदु क्रमांक–5 के संबंध में म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से भुगतान बाबत [illegible] आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। भविष्य में यदि शासन से कोई इस संबंध में आदेश / निर्देश [illegible] होते हैं तो आवश्यक होने पर आगामी बैठक में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

बिंदु क्रमांक–6 के संबंध में म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से भुगतान बाबत [illegible] आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। भविष्य में यदि शासन से कोई इस संबंध में आदेश / निर्देश [illegible] होते हैं तो आवश्यक होने पर आगामी बैठक में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया [illegible] है।

(क्रियान्वयन--प्रशासन / लेखा विभाग)

विषय क्र.09. विभागीय जांच विरूद्ध श्री ईस्माईल भाई, सेवानिवृत्त प्राध्यापक [illegible] माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही [illegible] विचार।

टिप्पणी :– उपरोक्त विषय में अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रं. 1238 / 1558 / 2016 / 38–3 भोपाल, दि. 25.7.16 द्वारा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग मोती तबेला इन्दौर [illegible] 1679 / अति.संचा. / शा–1 / 2016 इन्दौर, दि. 21.6.16 के अनुसार [illegible] पत्र प्रेषित किया गया है जिसके संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा [illegible] दिनांक 23.9.2016 के अनुसार कार्यवाही के पूर्व श्री ईस्माईल भाई [illegible] स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रं. [illegible] / 2017 / 2661, दि. 2.3.17 द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसका स्पष्टीकरण [illegible] तक अप्राप्त है।

अतः जांच प्रतिवेदन अनुसार एवं अवर सचिव के [illegible] अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि श्री ईस्माईल भाई, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, [illegible] माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के विरूद्ध विभागीय जांच के प्रकरण को संपूर्ण जानकारी के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

(क्रियान्वयन--प्रशासन विभाग)

विषय क्र.10. डॉ.एम.डी.खत्री एवं डॉ.एम.एल.घाटिया,सेवानिवृत्त शासकीय माधव [illegible] सेवानिवृत्ति उपरान्त छठे वेतन में पेंशन एवं पेंशन एरियर्स के संबंध में [illegible]

टिप्पणी :– डॉ.एम.डी.खत्री एवं डॉ.एम.एल.घाटिया,शासकीय माधव [illegible] से सेवानिवृत्त हुए है,इनके छठे वेतन से पेंशन एवं पेंशन एरियर्स के भुगतान [illegible] पेंशन एवं पेंशन एरियर्स के भुगतान हेतु श्री एम.एम.बोहरा,[illegible] 17 विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में [illegible]

एरियर्स का भुगतान शासन द्वारा ही किया जाता है एवं इस संबंध में शासन द्वारा [illegible] को कोई निर्देश प्रदान नहीं किये गये है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :— निर्णय लिया गया कि चूंकि म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से भुगतान बाबत कोई [illegible] आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। भविष्य में यदि शासन से कोई इस संबंध में आदेश / निर्देश [illegible] होते हैं तो आवश्यक होने पर आगामी बैठक में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया [illegible] है।

(क्रियान्वयन- प्रशासन / लेखा विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

विषय क्र.01. विश्वविद्यालय मे कार्यरत कुशल एवं अकुशल श्रेणी कर्मचारियों को स्थायीकर्मी घोषित करने के परिणाम स्वरूप आने वाले वार्षिक वित्तीय भार पर सहमति दिये जाने बाबत्।

टिप्पणी :— उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्चशिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 21.03.2017 द्वारा अवगत कराया गया है [illegible] महासंघ के पदाधिकारियों के साथ उनकी मांगों के संबंध मे म.प्र. शासन उच्चशिक्षा विभाग भोपाल के अधिकारियों से चर्चा उपरात निम्नानुसार सहमति हुयी है :-

"संघ के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र./एफ–5–1/2013/1/3, दिनांक 07.10.16 के द्वारा दैनिक वेतन भोगी [illegible] को स्थायीकर्मी घोषित किया जाना है। यह कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर की [illegible] किन्तु विश्वविद्यालयो द्वारा विभाग से स्थायीकर्मी घोषित करने की स्वीकृति [illegible] विश्वविद्यालयों से अतिशीघ्र यह जानकारी उपलब्ध करायी जाए कि स्थायीकर्मी [illegible] करने के परिणाम स्वरूप वेतन निर्धारण करने पर अन्तर की राशि का [illegible] भार आएगा तथा आने वाले वित्तीय भार की किसी भी परिस्थिति में [illegible] राज्य शासन से मांग नहीं की जाएगी। इस आशय की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए, जिससे विभाग द्वारा स्थायीकर्मी घोषित करने की अनापत्ति देने हेतु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करने की यथाशीघ्र कार्यवाही की जा सकें।"

2. यहां उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कुल 175 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें 109 अकुशल एवं 66 कुशल कर्मचारी कार्यरत [illegible] प्रशासन विभाग के आदेश क्र./एफ–5–1/2013/1/3, दिनांक 07.10.16 [illegible] 8 अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों [illegible] तक तथा इससे पूर्व से कार्यरत लगभग कुल 80 दैनिक वेतन भोगी [illegible] अकुशल एवं 25 कुशल) को बिन्दु क्र.–1.2 के अनुसार स्थायी वेतनमान [illegible] वार्षिक वित्तीय भार राशि रुपये 97.00 लाख का होगा एवं सेवानिवृत्त [illegible] वाली ग्रेच्युटी राशि रुपये 1,13,00,000/– का वित्तीय भार आवेगा। [illegible] भार सबंधी जानकारी से उच्चशिक्षा विभाग को पत्र क्र./प्रशा./[illegible] 10.03.17 से अवगत कराया गया।

3. अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत 55 अकुशल एवं 25 कुशल कर्मचारियों को स्थायीकर्मी घोषित करने के परिणामस्वरूप वेतन निर्धारण करने के अन्तर की राशि का उपरोक्त बिन्दु में बताये अनुसार जो वार्षिक वित्तीय भार आवेगा, उस वित्तीय भार की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा अपने वित्तीय स्त्रोतों से होने वाली आय से की जावेगी तथा किसी भी परिस्थिति में वर्तमान एवं भविष्य में राज्य शासन से इसकी मांग नहीं की जावेगी। [illegible] सहमति दिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र /एफ–5--1/2013/1/3, दिनांक 07.10.16 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय मे कार्यरत [illegible] अकुशल एवं 25 कुशल कर्मचारियों को स्थायीकर्मी घोषित करने के परिणाम [illegible] निर्धारण की गणनानुसार वार्षिक वित्तीय भार का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया [illegible] वित्तीय भार की मांग विश्वविद्यालय द्वारा वेतनमान में या भविष्य में [illegible] शासन से [illegible] की जावेगी।

(क्रियान्वयन–प्रशासन / लेखा विभाग)

विषय क्र.02. विश्वविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जांच कार्य हेतु मानदेय राशि के निर्धारण करने पर विचार।

टिप्पणी :– उपरोक्त विषय में विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन मे जांच कार्य एवं ट्रिब्यूनल के गठन में सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को मनोनीत किया गया है। उनके द्वारा जांच कार्य पूर्ण करने एवं ट्रिब्यूनल के गठन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सेवा निवृत्त न्यायाधीश को एक मुश्त मानदेय राशि रू. 25,000/– भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि उल्लेखित प्रस्ताव अनुसार जांच कार्य पूर्ण करने एवं ट्रिब्यूनल के गठन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को एक मुश्त मानदेय राशि रू. 25,000/– भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जावे।

(क्रियान्वयन--प्रशासन / विधि / लेखा विभाग)

विषय क्र.03. विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 89वीं बैठक दिनांक 25.08.2014 के विषय क्रमांक 16 में लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रूपये 1000/– प्रतिमाह के स्थान पर रूपये 3000/-- किये जाने पर विचार।

टिप्पणी :– विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 89वीं बैठक दिनांक 25.08.2014 के विषय क्रमांक 16 मे लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को [illegible] भत्ता रूपये 1000/– प्रतिमाह के स्थान पर रूपये 3000/-- किये जाने के [illegible] अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21 [illegible] उक्त प्रस्ताव को समन्वय समिति को भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः [illegible] विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के कर्मचारियों को भी [illegible] समन्वय समिति की 89वीं बैठक दिनांक 25.08.2014 के विषय क्रमांक 16 [illegible] निर्णय अनुसार विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रूपये 1000/– प्रतिमाह के स्थान पर रूपये 3000/-- किये जाने के प्रस्ताव को समन्वय समिति को प्रेषित किया जाये।

(क्रियान्वयन--प्रशासन / लेखा विभाग)

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव

V -EC-24 March-17

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्मिलन / 2017 / 357 दिनांक :- 15/6/17

—:: अधिसूचना ::—

डॉ. जे.पी. पोरवाल, सेवा निवृत्त प्राध्यापक शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के छठे वेतन से ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान के संबंध मे विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2017 विषय क्रमांक 13 के निर्णय में प्राप्त निर्देशानुसार पेंशन एरियर्स के भुगतान को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण को भुगतान किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / सम्मिलन / 2017 / 358 दिनांक :- 15/6/17

प्रतिलिपि :-

01 कार्य परिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

02. समस्त अधिकारीगण, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

03. कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव (अकादमिक)

Dextop P.Meeting 357

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/1269 दिनांक :- 24/5/17

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.04.2017 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.04.2017 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/1270 दिनांक :- 24/5/17

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

Dextop/P.Meeting/16

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/1235 दिनांक :- 19/5/17

कार्यपरिषद्
की
बैठक का कार्यविवरण

स्थान :– माधव भवन, उज्जैन

तिथि :– 28.04.2017
समय :– अपरान्ह : 12:00 बजे

–:: उपस्थिति ::–

01. प्रो. एस.एस.पाण्डेय	–	कुलपति एवं अध्यक्ष
02. डॉ. नागेश शिन्दे	–	सदस्य
03. डॉ. बी.के. मेहता	–	सदस्य
04. डॉ. एच.पी. सिंह	–	सदस्य
05. श्री जितेन्द्रसिंह ठाकुर	–	सदस्य
06. सुश्री कविता सूर्यवंशी	–	सदस्य
07. डॉ. आशुतोष दुबे	–	सदस्य
08. डॉ. डी.के. बग्गा	–	प्रभारी कुलसचिव एवं सचिव

कार्यपरिषद की बैठक प्रारंभ होने के पूर्व माननीय कुलपतिजी द्वारा सभी सम्माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा नवागत सदस्य डॉ. आशुतोष दुबे का स्वागत किया गया।

विषय क्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24मार्च 2017के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

निर्णय – कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 24 मार्च 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।
(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017, एवं 07.04.017 के कार्य विवरणों पर विचार।
(कार्यविवरणों की प्रति संलग्न)

निर्णय – निर्णय लिया गया कि, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017 एवं 07.04.2017 के कार्यविवरणों को अनुमोदित किया गया।
(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.03. शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

निर्णय – निर्णय लिया गया कि, शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधकों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।
(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)

विषय क्र.04. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये प्री एण्ड पोस्ट परीक्षा प्रोसेसिंग कार्य को आगे सम्पन्न कराने विषयक।

टिप्पणी :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है वर्ष 2016–17 के सत्र हेतु खुली निविदा पद्धति के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये प्री एण्ड पोस्ट परीक्षा प्रोसेसिंग कार्य हेतु न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्म मे. माइकोन इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि., जयपुर रोड़, अजमेर का चयन क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09.01.16 के विषय क्रं.0–03 पर न्यूनतम दर रुपये 13.80 प्रति छात्र पर प्री एण्ड पोस्ट परीक्षा कार्य मे. माइकोन इन्फोटेक सर्विस प्रा. लि., अजमेर से कराने का अनुमोदन किया गया तथा इस फर्म से दिनांक 17.06. 16 को वर्ष 2016–17 के सत्र हेतु अनुबंध किया गया था। अनुमोदित फर्म मे. माइकोन इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि.जयपुर रोड़, अजमेर द्वारा किये जाने वाला कार्य संतोषजनक ना होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा इस फर्म को नोटिस जारी किया गया तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.16 के विषय क्रं.–08 पर यह निर्णय लिया गया कि माइकोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि., अजमेर द्वारा दी जा रही सेवाओं को तत्काल बंद कर अनुबंध की शर्त अनुसार कड़ी कार्यवाही करते हुये विधि अनुसार द्वितीय न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्म से विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तैयार करने के संबंध में तत्काल समुचित कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्तमान में मे. इर्मेज डाटा सर्विसेस, नागपुर द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये प्री एण्ड पोस्ट परीक्षा प्रोसेसिंग कार्य पूर्व की न्यूनतम दर रुपये 13.80 प्रति छात्र/छात्रा पर संतोषजनक ढंग से सम्पन्न किया जा रहा हैं।

2. यहां उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये प्री एण्ड पोस्ट परीक्षा प्रोसेसिंग कार्य सम्पन्न कराने के लिये पुनः खुली निविदा पद्धति के अन्तर्गत टेण्डर जारी किया गया। जारी किये गये टेण्डर के तहत् केवल दो फर्मों से सीलबंद निविदायें प्राप्त हुयी, चूंकि प्रथम आमंत्रण पर केवल दो निविदा ही प्राप्त हुयी थी, अतः इन प्राप्त निविदाओं को अमान्य कर उच्च क्रय समिति द्वारा पुनः ई–निविदा जारी करने की अनुशंसा की गयी तथा जिसका अनुमोदन माननीय कुलपतिजी द्वारा किया गया। भंडार विभाग द्वारा दृष्टिचूक से पुनः ई–निविदा ना जारी कर खुली निविदा पद्धति के तहत् टेण्डर जारी किया गया, जिसे उच्च क्रय समिति द्वारा मान्य नहीं किया गया, क्योंकि उच्च क्रय समिति का मानना था कि विश्वविद्यालय द्वारा जो नवीन म.प्र. भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 ग्राह्य किये हैं, के अनुसार खुली निविदा पद्धति के तहत् ई–निविदा जारी करना अनिवार्य है।

3. यहां उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में द्वितीय, चतुर्थ एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षायें प्रारम्भ हो चुकी हैं। राज्य शासन, उच्चशिक्षा विभाग, भोपाल के यह कड़े निर्देश है कि विश्वविद्यालय द्वारा ना केवल समय पर परीक्षायें आयोजित की जावें, बल्कि उनके परीक्षा परिणाम भी समय पर घोषित किये जावें, चूंकि वित्तीय वर्ष 2016–17 में दो बार टेण्डर जारी करने के उपरांत भी किसी फर्म का चयन नहीं हो पाया है, पुनः तृतीय बार ई–निविदा जारी करने पर फर्म का चयन करने में समय लगना स्वभाविक है तथा वर्तमान में चल रही परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने में विलम्ब हो सकता है, अतः ऐसी स्थिति में एक विकल्प यह हो सकता है कि वर्तमान में अनुमोदित फर्म मे. इर्मेज डाटा सर्विसेस, नागपुर से जिस न्यूनतम दर पर कार्य सम्पन्न करवाया जा रहा है, उसी दर पर वर्तमान की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के प्रोसेसिंग का कार्य सम्पन्न करवाये जाने पर विचार किया जावें। यहां उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस फर्म से दिनांक 17.01.17 को अनुबंध भी किया गया है। **अनुबंध की कंडिका–1.9 में यह उल्लेखित है कि यदि पक्ष क्रं.–01, पक्ष क्रं.–02 के कार्य को संतोषजनक पाता है तो दोनों पक्षों की सहमति से इस अनुबंध पत्र की अवधि को आगामी एक सत्र के लिये आगे**

बढ़ाया जा सकेगा। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षाओ के लिये प्रो एण्ड पोस्ट परीक्षा प्रोसेसिंग कार्य हेतु पूर्व में जो टेण्डर जारी किया गया था, उसकी **कंडिका–30 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कान्ट्रेक्ट एक वर्ष के लिये होगा तथा Certain Circumtances में यह रनिंग कान्ट्रेक्ट एक वर्ष की अवधि के लिये आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकेंगा।**

4. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि यदि तृतीय बार नियमानुसार ई–निविदा जारी करने पर न्यूनतम दर कोट करने वाली चयनित फर्म से परीक्षा परिणाम की ई–प्रोसेसिंग का कार्य करवाने पर विचार किया गया, तो वर्तमान में चल रही परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में विलम्ब होने की पूर्ण संभावना हो सकती है, अतः ऐसी स्थिति में मे. इर्मेज डाटा सर्विस, नागपुर के साथ हुये अनुबंध की कंडिका–1.9 के अनुसार दोनों पक्षों की सहमति से इस अनुबंध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, इसी प्रकार पूर्व में जारी टेण्डर की कंडिका–30 के अनुसार रनिंग कान्ट्रेक्ट एक वर्ष की अवधि के लिये भी बढ़ाया जा सकता है, अतः छात्र/छात्राओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुये मे. इर्मेज डाटा सर्विस, नागपुर की परीक्षा प्रोसेसिंग कार्य की अनुमोदित दर रुपये 13.80 प्रति छात्र पर वर्तमान में चल रही परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के प्रोसेसिंग का कार्य सम्पन्न करवाये जाने तथा पुनः वर्ष 2017–18 के सत्र हेतु ई–निविदा जारी करने के लिये विचार करने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि मे. इर्मेज डाटा सर्विसेस, नागपुर से पूर्व निर्धारित दरों पर परीक्षा परिणामो प्रोसेसिंग का कार्य वर्तमान परीक्षाओं के लिये कराया जावे तथा पूर्व की टेण्डर प्रक्रिया निरस्त करते हुए सत्र 2017–18 के लिए ई–निविदा भी आमंत्रित की जावे। **(क्रियान्वयन–परीक्षा विभाग)**

कार्यपरिषद् की बैठक की पूरक कार्य सूची

विषय क्र.01. डॉ.सर्वपालसिंह राणा,सहायक प्राध्यापक,(अंग्रेजी),शा.के.पी.महाविद्यालय,देवास को डी.लिट. उपाधि हेतु विलम्ब अवधि को विलोपित कर शोध प्रबंध जमा करने के प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी :– डॉ.सर्वपालसिंह राणा,डी.लिट.उपाधि हेतु पंजीकृत दिनांक 16.12.2010 का प्रकरण शोध प्रबंध जमा करने के पूर्व स्क्रीनिंग समिति के सामने रखने की अंतिम तिथि 16.12.2016 थी, जब कि विषय विशेषज्ञ द्वारा स्क्रीनिंग समिति को बैठक में आने की सहमति तीन दिन पश्चात अर्थात 19.12.2016 को दी गई थी।

प्रकरण विलम्ब अवधि को विलोपित करते हुए शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति प्रदान करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि,प्रकरण पर विधिक अभिमत लेकर पुनःकार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। **(क्रियान्वयन–परीक्षा विभाग)**

विषय क्र.02. डॉ.मुरली मनोहर पाठक,आचार्य,संस्कृत अध्ययनशाला के त्याग पत्र की स्वीकृति के प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी :–डॉ. मुरली मनोहर पाठक को कार्यालयीन आदेश क्रं./2304,दिनांक 17.10.2006 एंव 3097, दिनांक 06.01.2007 के द्वारा आचार्य के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु दिनांक 17.10.2006, से एक वर्ष का स्वत्वभार (लियन) स्वीकृत किया गया । उक्त अवधि पश्चात डॉ. पाठक के आवेदन पर आदेश क्रं./4824, दिनांक 25.06.2008 के द्वारा दिनांक 18.10.2007, से स्वत्व भार (लियन) में एक वर्ष की वृद्वि की गई । डॉ. पाठक द्वारा

दिनांक 07.07.2008,को तीन माह पूर्व पत्र भेजत हुए सूचना दी हैं कि,दिनांक 17.10.2008, से स्वत्व भार (लियन) समाप्त करते हुए उनका त्याग पत्र स्वीकृत किया जाए।

उक्त प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.10.2012 के बिन्दु क्रमांक 12, पर लिए गए निर्णय अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2012/2052 दिनांक 19.11.2012 के द्वारा डॉ. मुरली मनोहर पाठक को तीन माह का वेतन जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया ।

डॉ. पाठक द्वारा उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में दिनांक 04.12.2012 के द्वारा निवेदन किया है कि पूर्व में स्वत्व भार पर गए शिक्षकों द्वारा तीन माह पूर्व त्याग पत्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करने के उपरान्त उनके त्याग पत्र स्वीकृत किए गए है। डॉ. पाठक द्वारा अन्य शिक्षकों के समान त्याग पत्र स्वीकृत करने की प्रार्थना की है। एतद् विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि, प्रकरण पर विधिक अभिमत लेकर आगामी कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.03. माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन से सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. एस.एन.कक्कड के पेंशन एरियर्स एवं डॉ. कल्पना मुखर्जी के ग्रेज्युटी एवं नगदीकरण के भुगतान पर विचार।

टिप्पणी :–माधव विज्ञान महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों के स्वत्वों के भुगतान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरणों के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 555,दिनांक 13.04.2017 अनुसार निम्नलिखित प्रकरणों में अद्यतन स्थिति से तत्काल अवगत किये जाने हेतु लिखा गया है :–

1. डॉ. भागीरथ अम्मा नायर – चेक प्रसारित किया जा चुका है।
2. प्रो. नवीन भटनागर – कार्यपरिषद् दिनांक 24.03.2017 के अनुसरण में भुगतान हेतु पत्रावली प्रचलन में है।
3. प्रो.रमाकांत नागर – कार्यपरिषद् दिनांक 24.03.2017 के अनुसरण में भुगतान हेतु पत्रावली प्रचलन में है।
4. डॉ. जे.पी.एन.पाठक – कार्यपरिषद् दिनांक 24.03.2017 के अनुसरण में भुगतान हेतु पत्रावली प्रचलन में है।
5. डॉ. श्रीमती कल्पना मुखर्जी – कार्यपरिषद् दिनांक 24.03.2017 के अनुसार शासन से पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यपरिषद् बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देष प्रापत हुए है। अतः उक्त प्रमुख सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र के अनुसरण में विचारार्थ प्रस्तुत।
6. डॉ. एस.एन. कक्कड़ – कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 24.03.2017 के अनुसार शासन से पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यपरिषद् बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है। अतः उक्त प्रमुख सचिव के

अर्द्धशासकीय पत्र के अनुसरण में विचारार्थ प्रस्तुत।

अतः डॉ. कल्पना मुखर्जी एवं डॉ. एस.एन.कक्कड का प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि,डॉ.(श्रीमती) कल्पना मुखर्जी एवं डॉ. एस.एन. कक्कड़ के प्रकरण में न्यायालय एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जावे। साथ ही शासन को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु तत्काल अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.04. विश्वविद्यालय द्वारा माह जुलाई, 2016 से नवम्बर, 2016 की अवधि में देय मंहगाई भत्ते की अवशेष राशि का भुगतान करने पर विचार।

टिप्पणी :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रं./एफ–4–1/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 10.04.2017 द्वारा राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि माह जुलाई, 2016 से नवम्बर, 2016 की अवधि में देय मंहगाई भत्ते की राशि का भुगतान माह अप्रैल, 2017 में किया जावें।

2. अतः विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को माह जुलाई, 2016 से नवम्बर, 2016 की अवधि में देय मंहगाई भत्ते की राशि का भुगतान माह अप्रैल, 2017 के वेतन के साथ किया जावेंगा, अतः प्रकरण सूचनार्थ प्रेषित है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि, प्रस्ताव मान्य किया जाये।

(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)

विषय क्र.05. विश्वविद्यालयीन नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अनाज अग्रिम देने पर विचार।

टिप्पणी :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.2016 में निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2016 में सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालयीन नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निम्नानुसार अनाज अग्रिम के प्रस्ताव को यथा मान्य किया गया था।

क्रं.	विवरण	वर्तमान में देय	प्रस्तावित देय
1.	नियमित कर्मचारी	7000/–	10,000/–
2.	दै.वे.भो. कर्मचारी	4000/–	7000/–

2. गत् वर्ष सिंहस्थ पर्व को ध्यान में रखते हुये उक्तानुसार प्रस्तावित अनाज अग्रिम की वृद्धि राशि मान्य की गयी थी।

3. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के आदेशानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रुपये 12000/– (मूल वेतन+ग्रेड–पे) तक के वेतन पर रुपये 4000/– का अनाज अग्रिम स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि वर्तमान में मंहगाई अधिक है, अतः कर्मचारियों के परिवार के सुचारू संचालन को देखते हुये वर्ष 2016 में अनाज अग्रिम की वृद्धि दर (रुपये 10000/– एवं 7000/–) अनुसार ही इस वर्ष तथा आगामी वर्षों में अनाज अग्रिम की राशि स्वीकृत की जावें। संघ

का यह भी कहना है कि उज्जैन शहर मे नगर निगम मे अनाज आग्रेम हेतु रुपये 10000/– से भी अधिक राशि दी जाती है, चूंकि वर्ष 2016 में अनाज अग्रिम की दरों में जो वृद्धि मान्य की गयी हैं, वह लगभग पांच वर्षों के पश्चात् मान्य की गयी है।

3. अतः वर्ष 2017–18 एवं आगामी वर्षों हेतु विश्वविद्यालयीन नियमित कर्मचारियों के लिये रुपये 10,000/– तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये रुपये 7000/– का अनाज अग्रिम की राशि मान्य किये जाने के लिये प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि,वर्ष 2017–18 एवं आगामी वर्षो हेतु विश्वविद्यालयीन नियमित कर्मचारियों के लिये रुपये 10,000/– तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये रुपये 7000/– का अनाज अग्रिम की राशि संबंधी प्रस्ताव मान्य किया जाये।

(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)

विषय क्र.06. भवन समिति की बैठक के कार्यविवरणके अनुमोदन पर विचार।

टिप्पणी :–कार्य विवरण संलग्न।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि, भवन समिति की बैठक दि 24.04.2017 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

विषय क्र.01. विक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित आवासगृहों के लायसेंस शुल्क (मासिक किराया) का निर्धारण पर विचार।

टिप्पणी :–म.प्र. शासन गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रं. /एफ–01–25/2013/दो–ए(3) भोपाल, दिनांक 11.09.2014 के अनुसार शासकीय आवासगृहों के लिये लायसेंस शुल्क (किराया वसूली) की दरें दिनांक 01.10.2014 से निर्धारित की गयी है। उक्त आदेश के अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय स्थित आवासगृहों के लायसेंस शुल्क (मासिक किराया) का निर्धारण करने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त की जावे एवं आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.02. विश्वविद्यालय में सीसीटीवी सिस्टम के प्रदाय एवं संस्थापन तथा रखरखाव हेतु प्रक्रिया को मान्य करते हुये प्रशासकिय स्वीकृति दिये जाने पर विचार।

टिप्पणी :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2016 में माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 14.06.2016 में विश्वविद्यालय के परिसर तथा माधव प्रशासनिक भवन में सीसीटीवी सिस्टम संस्थापन करने के संबंध में वास्तविक आवश्यकतानुसार लगभग 210 नग सीसीटीवी केमरें संस्थापित करने की अनुशंसा की गयी थी, अतः सीसीटीवी केमरों के संस्थापन हेतु प्रथम बार नियमानुसार खुली निविदा जारी की गयी, जारी निविदा के तहत् निविदा प्राप्त होने की अंतिम दिनांक 30.07.2016 तक केवल 02 फर्मों से निविदायें प्राप्त हुयी, अतः उच्च क्रय समिति की बैठक दिनांक 03.08.2016 में

प्रथम आमंत्रण में केवल दो निविदायें प्राप्त होने से इन निविदाओं पर विचार नहीं किया गया तथा पुनः द्वितीय बार खुली निविदा जारी की गयी। जारी निविदा के तहत् निविदा प्राप्त होने की अंतिम दिनांक 17.10.2016 थी। अंतिम दिनांक तक कुल 04 फर्मों से निविदायें प्राप्त हुयी। प्राप्त निविदाओं को उच्च क्रय समिति की बैठक दिनांक 17.10. 2016 में खोला गया तथा समिति द्वारा यह अनुशंसा की गयी कि, इन 04 फर्मों की प्राप्त तकनीकी बिड का परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा किया जावें, अतः दिनांक 25.11.2016 को तकनीकी समिति की बैठक में इन 04 फर्मों की तकनीकी बिड का परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति द्वारा इन 04 फर्मों की तकनीकी बिड को मान्य करने की अनुशंसा की गयी। समिति की अनुशंसा का अनुमोदन माननीय कुलपतिजी से प्राप्त कर इन 04 फर्मों की वित्तीय निविदाओं को खोलने के लिये उच्च क्रय समिति की बैठक दिनांक 29. 11.2016 में रखा गया। समिति द्वारा इन 04 फर्मों की वित्तीय निविदाओं को खोलकर प्राप्त निविदाओं का तुलनात्मक पत्रक तैयार किया गया। संलग्न तुलनात्मक पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन 04 फर्मों द्वारा कुल 43 विभिन्न आयटम तथा एएमसी हेतु पृथक–पृथक न्यूनतम दरें कोट की हैं, अतः विश्वविद्यालय द्वारा इन 04 फर्मों की पृथक–पृथक न्यूनतम दर अनुसार एकजाई न्यूनतम दर रुपये 557054/– टेक्स सहित निर्धारित की गयी तथा उच्च क्रय समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गयी कि इन 04 फर्मों से प्राप्त न्यूनतम एकजाई दर रुपये 515534/– टेक्स सहित एवं तीन वर्ष में वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिये प्राप्त एकजाई न्यूनतम दर रुपये 515534/– का 07 प्रतिशत तथा सर्विस टेक्स 15 प्रतिशत पर सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम विश्वविद्यालय को प्रदाय कर विधिवत रूप से संस्थापित करने के लिये अन्य फर्मों की तुलना में न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्म मे. डिजीटल इण्डिया सिक्योरिटी प्रा.लि., भोपाल से सहमति प्राप्त लेने के लिये फर्म को पत्र लिखा जावें। यदि फर्म द्वारा निविदा की शर्त अनुसार विभिन्न उपकरणों/सामग्री के बताये स्पेसिफिकेशन अनुसार सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम अन्तर्गत विभिन्न उपकरण/सामग्री को प्रदाय कर, विधिवत रूप से संस्थापित करने के लिये सहमति दी जाती है, तो इस फर्म से विधिवत रूप से अनुबंध कर कार्य–आदेश जारी किया जावें। यदि यह फर्म सहमति नहीं देती है, तो क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्मों को पत्र लिखकर सहमति प्राप्त की जावें। यदि 04 फार्मों द्वारा कोई सहमति नहीं दी जाती है, तो प्रकरण पुनः उच्च क्रय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।

2. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2016 के विषय क्रं. –06 में यह निर्णय लिया गया था कि कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाने पर विचार–विमर्श किया गया। कार्यपरिषद् का मानना है कि विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाया जाना अति–आवश्यक है, अतः खुली निविदा से प्राप्त न्यूनतम दर पर सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम मे. डिजीटल इण्डिया सिक्योरिटी प्रा.लि. भोपाल को पत्र भेजा गया। इस फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.02. 2017 में लेख किया गया कि, जिस फर्म ने एल–1 रेट दिये हैं, उसे कार्य आदेश दिया जाय, जबकि आपने सभी फर्मों के न्यूनतम दरों को एकजाई करके एकजाई न्यूनतम दर पर कार्य करने की सहमति मांगी है, जो सीवीसी गाइन्डलाईन के विरूद्ध है। इस फर्म ने एकजाई न्यूनतम दर को ना मान्य करते हुये अपने द्वारा दी गयी दरों पर कार्य आदेश देने का अनुरोध किया गया, अतः ऐसी स्थिति में अन्य फर्मों को एकजाई न्यूनतम दर पर

कार्य करने हेतु पत्र भेजा गया। मे. हस्ती कम्प्यूटर, इन्दौर द्वारा एकजाई न्यूनतम दर पर कार्य करने में असहमति दर्शायी गयी। हिमालय टेण्डर, भोपाल द्वारा उन्हें भेजे गये पत्र जिसमें स्पष्ट लेख किया गया था कि पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में अपना सहमति पत्र विश्वविद्यालय को भेजने का कष्ट करें, से कोई सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। केवल मे. निधि (आई) इंडस्ट्री, ग्वालियर जिन्हें कार्यालय के पत्र क्रं./भंडार/17/84, दिनांक 24.04.2017 भेजा गया था, जो उन्हें दिनांक 27.04.2017 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में उनके पत्र क्रं./निधि/17–18/1099, दिनांक 27.04.2017 फेक्स से भेजकर यह अवगत कराया गया कि, सीसीटीव्ही सर्विलेंस सिस्टम में प्राप्त आपके द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों को मान्य करते हुए हम अपनी सहमति प्रदाय करते है। निर्धारित न्यूनतम दरों पर कार्य करने हेतु सहमत है, कृपया कार्य आदेश जारी किये जाने का कष्ट करें।

4. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि चूंकि, कुल 04 फर्मों में से मे. निधि (आई) इंडस्ट्री, ग्वालियर द्वारा विश्वविद्यालय के लिये सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम प्रदाय एवं संस्थापन तथा रखरखाव हेतु एकजाई न्यूनतम दर रुपये 557054/– को टेक्स सहित एवं तीन वर्ष में ए.एम.सी. के लिये प्राप्त एकजाई न्यूनतम दर रुपये 515534/– का 07 प्रतिशत तथा सर्विस टेक्स 16 प्रतिशत को मान्य करने की सहमति दी गयी है, अतः इस फर्म द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर एकजाई न्यूनतम दर रुपये 557054/– टेक्स सहित में सीसीटीवी एवं अन्य विभिन्न सामग्रियों का टेण्डर शर्त अनुसार निर्धारित स्पेसिफिकेशन/गुणवत्ता अनुसार प्रदाय करने तथा तीन वर्ष के लिये ए.एम.सी. करने की प्रशासकिय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि, इस परिप्रेक्ष्य में निविदाकर्ता फर्म से प्राप्त सहमति पत्र के आधार पर कुल लागत एवं तीन वर्ष ए.एम.सी. कुल लागत का 7% राशि तथा अन्य कर सहित क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने की स्थिति में अनुशंसा उपरान्त/अनुसार मान्य करते हुए निविदाकर्ता, प्रस्ताव करने वाली फर्म से समिति की अनुशंसा अनुसार कार्य संपादन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बैठक के अन्त में निवृत्तमान कार्यपरिषद् सदस्य श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर को उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर आदर सहित विदाई दी गई।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति **कुलसचिव**

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्मिलन / 2017 / 584 दिनांक :- 1/7/17

-:: अधिसूचना ::-

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.04.2017 के विषय क्रमांक 03 मे आंशिक संशोधन कर डॉ. [illegible] सेवानिवृत्त प्राध्यापक शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन एवं डॉ.मुरली सेवानिवृत्त प्राध्यापक,शा.[illegible] महाविद्यालय,उज्जैन दोनो के प्रकरण में ग्रेज्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान पर विचार [illegible]

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / सम्मिलन / 2017 / 585 दिनांक :- 1/7/17

प्रतिलिपि :-

01. कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यगण, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन
02. समस्त अधिकारीगण, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन
03. कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/881 दिनांक :- 31.7.17

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- **कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.07.2017 का कार्यविवरण विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.07.2017 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/882 दिनांक :- 31.7.17

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

Dextop/P.Meeting/16

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/ 836 दिनांक :- 26.7.17

कार्यपरिषद्
की
बैठक का कार्यविवरण

स्थान :– माधव भवन, उज्जैन **तिथि :–24.07.2017**
समय :– अपरान्ह : 12:00 बजे

–:: उपस्थिति ::–

01. प्रो. एस. एस. पाण्डेय	–	**कुलपति एवं अध्यक्ष**
02. डॉ. नागेश शिन्दे	–	**सदस्य**
03. डॉ. बी. के. मेहता	–	**सदस्य**
04. डॉ. एच. पी. सिंह	–	**सदस्य**
05. प्रो. राजाराम यादव	–	**सदस्य**
06. डॉ. आशुतोष दुबे	–	**सदस्य**
07. श्री सुनील कुमार	–	**सदस्य**
08. श्री सुरेन्द्र गांधी	–	**सदस्य**
09. डॉ. प्रतिभा कोठारी	–	**सदस्य**
10. डॉ. लक्ष्मी दत्ता	–	**सदस्य**
11. श्री जे. एस. भदौरिया (संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा)	–	**सदस्य**
12. डॉ. परीक्षित सिंह	–	**कुलसचिव एवं सचिव**

कार्यपरिषद के सम्माननीय नवागत सदस्यों एवं सभी सम्माननीय सदस्यगणों का माननीय कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

विषय क्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28 अप्रेल 2017के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार। (कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28 अप्रेल 2017 के कार्यविवरण में अध्यक्ष की अनुमति के विषय क्रमांक 02 में विश्वविद्यालय में सीसीटीवी सिस्टम लगाने हेतु पूर्व में टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत अनुमोदित निविदाकर्ता फर्म द्वारा जी.एस.टी. इत्यादि कारणों के कारण कार्य संपादन करने के प्रति अपनी असहमति प्रस्तुत की गई थी।

अतः प्रस्ताव करने वाली फर्म से इस कार्य को करवाने बाबत प्रदान की गई स्वीकृति को निरस्त करते हुए पुनः नवीन टेण्डर प्रक्रिया की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः पूर्व निर्णय को संशोधित मान्य करने के साथ कार्यपरिषद की विगत बैठक दिनांक 28 अप्रेल 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन–अकादमिक/प्रशासन विभाग)

विषय क्र.02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 24.04.2017, 09.05.2017, 18.05.2017, 27.05.2017, 01.06.2017, 16.06.2017 एवं24.06.017 के कार्य विवरणों पर विचार।
(कार्यविवरणों की प्रति संलग्न)

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 24.04.2017, 09. 05.2017, 18.05.2017, 27.05.2017, 01.06.2017, 16.06.2017 एवं24.06.017 के कार्य विवरणों को अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.03. शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)

विषय क्र.04. सत्र 2015–16एवं 2016–17 की उपाधियों के मुद्रण पर विचार।

टिप्पणी :– सत्र 2013–14 तथा 2014–15 की उपाधियों के मुद्रण के संबंध में विशयान्तर्गत सत्र 2015 में खुली निविदा जारी कर न्युनतम दर कोड करने वाली फर्म से दिनांक 09.08.2016 को अनुबंध विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, चुंकि वर्तमान में वर्ष 2016 एवं 2017 की उपाधि के मुद्रण का कार्य भी शीघ्र ही किया जाना है। वर्तमान में सत्र 2013–14,तथा 2014–15,के मुद्रण का कार्य उपरोक्त फर्म द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त उक्त सत्र की उपाधि का मुद्रण आफसेट प्रिंटिंग सतना द्वारा दोनों की सहमति (अनुबंध की भार्तो के अनुसार) से मुद्रण कार्य बढाया जाये या पुनःनिविदा आमंत्रित की जावे। एतद् विचारार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि सत्र 2015–16 की उपाधियों के मुद्रण का कार्य आफसेट प्रिंटिंग सतना से अनुबंध की शर्तो के अनुसार कराया जाये। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सत्र 2016–17 की उपाधियों के मुद्रण हेतु नवीन टेण्डर की कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–परीक्षा/उपाधि विभाग)

विषय क्र.05. विभागीय जांच विरूद्ध श्री ईस्माईल भाई,सेवानिवृत्त प्राध्यापक,जीव विज्ञान,शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के संबंध में विचार।

टिप्पणी :–उपरोक्त विषय में अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रं. 1238/1558/2016/38–3 भोपाल, दि. 25.7.16 द्वारा अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,इन्दौर संभाग,मोती तबेला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन क्रं.1679/अति. संचा./शा–1/2016 इन्दौर, दि. 21.6.16 के अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है,जिसके संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए विधिक अभिमत दिनांक 23.9.2016 के अनुसार कार्यवाही के पूर्व श्री ईस्माईल भाई से 07 दिवस में

स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रं./प्रशा./संस्था./2017/2661, दि. 2.3.17 द्वारा प्रेषित किया गया था। श्री इस्माईल भाई द्वारा दि. 14.3.2017 को उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के तारतम्य में 03 बिन्दुओं में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके बिन्दु क्रं. 02 में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रं. 958/2010 प्रेमनाथ बाली विरूद्ध पंजीयत माननीय उच्च न्यायालय नईदिल्ली आदि के निर्णय दिनांक 16.12.2015 के प्रकाश में हुई कार्यवाही का अधिकार खो चुके है। उक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने निवेदन किया है कि न्यायहीत के सन्दर्भित कार्यवाही को समाप्त किए जावे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन का सम्मान करें।

डॉ.ईस्माईल भाई से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विधिक अभिमत लिया गया अभिमतानुसार "डॉ.ईस्माईल दिनांक 31.1.2017 को प्रकरण पत्रिका के हिसाब से सेवानिवृत्त हो चुके है। प्रकरण पत्रिका में 2011 को लगे एक पत्र से स्पष्ट है कि 2011 तक डॉ. ईस्माईल द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था यही नहीं जांच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि डॉ. ईस्माईल द्वारा इस विभागीय जांच की शीघ्र निराकरण में कोई सहयोग प्रदान नहीं किया गया है और स्वयं उनके द्वारा की गई लापरवाही की वजह से ही विभागीय जांच विलंबित हुई है। अब उन्हें क्या दण्ड दिया जाना है यह प्रशासन विभाग को तय करना है। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का कोई लाभ लापरवाह कर्मचारी को नहीं मिलता स्वयं डॉ. ईस्माईल की लापरवाही की वजह से प्रकरण विलंबित हुआ है। अतः उन्हें नियमानुसार दण्डाज्ञा प्रदान करने में कोई बाधा नहीं है।"

अतः जांच प्रतिवेदन अनुसार तथा अवर सचिव के पत्र दि. 25.7.2016 एवं प्रकरण में लिए गए विधिक अभिमत अनुसार डॉ. ईस्माईल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जीव विज्ञान, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन पर दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि विभागीय जांच विरूद्ध श्री ईस्माईल भाई, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जीव विज्ञान, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के संबंध में विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री ईस्माईल भाई शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के शिक्षक रहे हैं तथा उनके द्वारा विश्वविद्यालय में सेवाऐं नहीं दी गई है और ना ही वे विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। श्री ईस्माईल भाई का पीएफ भी विश्वविद्यालय में जमा नहीं होता है तथा महाविद्यालय के शासनाधीन होने तथा विश्वविद्यालय का प्रशासकीय नियंत्रण न रहने के कारण उनके विरूद्ध जांच कर दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार भी शासन को है। अतः प्रकरण की वस्तुस्थिति से मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अवगत कराया जावे।

(क्रियान्वयन—प्रशासन विभाग)

विषय क्र.06. स्व.डॉ.के.एस.राव,सेवानिवृत्त,आचार्य,वि.वि.,उज्जैन की पूर्व सेवाओं को वि.वि.की सेवाओं में जोड़कर पेंशन तैयार करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रं. 11925/2009 में पारित आदेश दि. 23.2.2017 के संबंध में विचारार्थ।

टिप्पणी :—स्व.डॉ.के.एस.राव,सेवानिवृत्त,आचार्य,दि. 25.6.1977 से विश्वविद्यालय में नियुक्त होकर दिनांक 31.10.2000 को विश्वविद्यालय की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए है। फलस्वरूप म.प्र. शासन द्वारा उनका पी.पी.ओ. 1838 जारी किया जा चुका है तदपश्चात डॉ. राव के द्वारा उनकी पूर्व शासकीय सेवा अवधि 28.1.1963 से 31.5.1979 को विश्वविद्यालय की सेवाओं में जोड़ने हेतु निवेदन किया गया था। जिसे अवर सचिव, म.प्र. शासन, के पत्र क्रं. 73—47/99/38—3, दि. 24.9.2009 के द्वारा अमान्य किया गया था, प्रकरण में आगामी कार्यवाही कर श्रीमती के. शान्ति (पत्नि स्व. डॉ. के.एस. राव) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रं. 11925/2009 में पारित आदेश दिनांक

23.2.2017 के अनुसार डॉ. राव की पूर्व सेवाओं को विश्वविद्यालय की सेवाओं में जोड़ने हेतु आवेदन दि. 14.4.2017 प्रस्तुत किया गया है उक्त न्यायालयीन निर्णय पर विश्वविद्यालय द्वारा विधिक अभिमत प्राप्त किया गया जिसमें प्राप्त अभिमत अनुसार डॉ. राव की पूर्व शासकीय सेवाओं को विश्वविद्यालय में जोड़कर पेंशन प्रकरण तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाने का उल्लेख है। अतः उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि स्व.डॉ.के.एस.राव,सेवानिवृत्त,आचार्य,वि.वि.,उज्जैन की पूर्व सेवाओं को वि.वि.की सेवाओं में जोड़कर पेंशन प्रकरण तैयार कर शासन को भेजा जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.07. श्री सावलराव उल्हारे,सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के संबंध में विचारार्थ।

टिप्पणी :–श्री सावल राव उल्हारे, दि. 31.8.2015 को शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन से सेवानिवृत्त हुए है एवं शासन द्वारा श्री उल्हारे का पी.पी.ओ. एवं जी.पी.ओ. जारी किया जा चुका है एवं इनकी ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान हेतु अपर संचालक, वित्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन के द्वारा पत्र क्रं. 599, दि. 18.5.2017 संलग्न प्रेषित किया गया है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में माधव महाविद्यालय एवं माधव विज्ञान महाविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यायालयीन निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया गया है,परन्तु श्री सावल राव उल्हारे के प्रकरण में कोई न्यायालयीन निर्णय विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।
अतः प्रकरण अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि संपूर्ण प्रकरण की वस्तुस्थिति को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.08. उत्तर पुस्तिकाए क्रय करने के संबंध में विचारार्थ।

टिप्पणी :–आगामी परीक्षा माह तिम्बर, अक्टुबर 2017 I,III,V,सेमेस्टर की परीक्षा मं अनुमानीत एक लाख परीक्षार्थी सम्मीलित होंगे एवं मार्च 2018 में मेन्युवल परीक्षा में अनुमानित चालीस हजार परीक्षार्थ सम्मीलीत होंगे तथा अप्रैल, मई 2018 II, IV, VIसेमेस्टर की परीक्षा में अनुमानीत एक लाख परीक्षार्थी सम्मीलीत होंगे। ए.टी.के.टी. परीक्षा में अनुमानित तीस हजार परीक्षार्थी सम्मीलीत होंगे उक्त चारों परीक्षा में अनुमानित दो लाख,सत्तर हजार छात्र सम्मीलीत होंगें। UG उत्तर पुस्तिका 9,00,000 लाख, PG उत्तर पुस्तिका1,20,000 मुख्य उत्तर पुस्तिका 5,00,000 तथा पूरक उत्तर पुस्तिका 8,00,000/– उक्त चारों प्रकार की कुल उ.पु. 23,20,000 की आव यकता होगी। आगामी परीक्षाओं हेतु 23,20,000 उत्तर पुस्तिका क्रय की जाना प्रस्तावित है। अनुमोनित रूपये 95,00,000/– (पिन्चानवे लॉख) का व्यय होगा उक्त रा ि की प्र ासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित है।

1. I,III,V,सेमेस्टर माह सितम्बर, अक्टूबर 2017 में 1,00,000 परीक्षार्थियों के लिये

UG उ.प.	PG उ.प	मुख्य उ.पु.	पूरक उ.पु.
3,00,000	60,000	2.25.000	3.00.000

2. मेन्युवल परीक्षा में 40,000 परीक्षार्थियों के लिये

	UG उ.प.	---	मुख्य उ.पु.	पूरक उ.पु.
	2,00,000		50.000	2.00.000
3 II,IV,VI,सेमेस्टर	माह सितम्बर, अक्टूबर 2017 में 1,00,000 परीक्षार्थियों के लिये			
	UG उ.प.	PG उ.प.	मुख्य उ.पु.	पूरक उ.पु.
	3,00,000	60.000	2,50.000	3.00.000
4 A.T.KT परीक्षा के लिये				
	UG उ.प.	PG उ.प	मुख्य उ.पु.	पूरक उ.पु.
	1,00,000	----	----	----
1,2,3,4, का योग	9,0,000	1,20,000	5,00,000	8,00,000

1,2,3,4, का महायोग– 23,20,000

आगामी परीक्षा माह सितम्बर–अक्टूबर 2017, I,III,V,सेमेस्टर की परीक्षा एवं माह मार्च 2018 में मेन्यूअल परीक्षा तथा अप्रेल–मई 2018 में II,IV,VI,सेमेस्टर,A.T.KT की परीक्षा आयोजित होना है। इसके लिये UG,PGमुख्य, पूरक उक्त चारों प्रकार की उत्तर पुस्तिकाए 23,20,000 क्रय करने हेतु रू. 95,00,000/– (पिन्चानवे लॉख) का अनुमानित व्यय होगा। अतः प्रस्ताव प्र ाासकीय स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि आगामी माह में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव अनुसार उत्तर पुस्तिकाए क्रय करने हेतु कुल उत्तर पुस्तिकाए 23,20,000 क्रय करने के लिये रू. 95,00,000/– (पिन्चानवे लॉख) की अनुमानित वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–मुद्रणालय/लेखा विभाग)

विषय क्रं.09. डिप्लोमा इन योगा एज्यूकेशन के अध्यादेश समन्वय समिति में प्रस्तुत करने पर विचार।

टिप्पणी :–डिप्लोमा इन योगा इन एज्यूकेशन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का अध्यादेश विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में अंगीकृत किया। आगामी समन्वय समिति में प्रस्तुत करने पर विचार।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि डिप्लोमा इन योगा एज्यूकेशन के अध्यादेश को आगामी समन्वय समिति के सूचनार्थ प्रस्तुत किया जावे।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.10. स्वास्थ्य अधिकारी,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के मानदेय राशि रू. 12000/– करने पर विचार।

टिप्पणी :–उपर्युक्त विषय में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदान किया जा रहा मानदेय रू. 10000/– के स्थान पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की भांति मानदेय रू. 12000/– किए जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत। अन्य वि वविद्यालय से जानकारी मंगायी गई थी, जिसमें विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त हुई कि,उनके विश्वविद्याय में स्वास्थ्य अधिकारी को रू. 12,000/– प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य अधिकारी,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के मानदेय राशि रू. 12000/— प्रतिमाह दिये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन—प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्रं.11. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी की दैनिक वेतन दरों की वृद्धि पर विचार।

टिप्पणी :—उपर्युक्त विषय में कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/वित्त—3/2016/12366 उज्जैन दिनांक 10.10.2016 के द्वारा दिनांक 1.10. 2006 के अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2016/2144, दिनांक 29.12.2016 के द्वारा दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है एवं क्रमांक/वित्त—3/2017/4027 उज्जैन, दिनांक 7.6.2017 के द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के परिवर्तनशील मंहगाई भत्त सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरे दि. 1.4.2017 से निर्धारत की गई है।

उक्त आदेश के अनुसरण में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दि. 1.4.2017 से प्रदान की जाने वाली अधिकतम दर निर्धारित करने हेतु प्रकरण सूचनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन के द्वारा जारी आदेश अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के परिवर्तनशील मंहगई भत्ते की दरें मान्य की गई।

(क्रियान्वयन—प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्रं.12. म.प्र. शासन,वित्त विभाग के आदेश क्रं. एफ 4—2/2017/नियम/चार भोपाल, दि. 30 मई, 2017 के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2016 से मूल वेतन+ग्रेडपे के 132 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते के स्थान पर 01 जनवरी, 2017 से मूल वेतन+ग्रेड पे का 136 प्रतिशत मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

टिप्पणी :—उक्त आदेश के तारतम्य में राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षको, अधिकारियों, कर्मचारियों को भी मंहगाई भत्ते की संशोधित दरें दिनांक 01.01.2017 से मूल वेतन+ग्रेडपे का 136 प्रतिशत मंहगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एरियर राशि का नगद भुगतान करने की भी स्वीकृति प्रदान करने हेतु सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि सूचना ग्राह्य की जावे।

(क्रियान्वयन—प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्रं.13 एम.फिल.अध्यादेश (नवीन),समन्वय समिति में अनुमोदनार्थ भेजने के प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी :—विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 के निर्णयानुसार एम.फिल.अध्यादेश (नवीन) को लागू कर समन्वय समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण विचारार्थ।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि एम.फिल.अध्यादेश (नवीन), प्रस्ताव को समन्वय समिति को प्रेषित किया जावे।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.14 पीएच.डी.अध्यादेश (नवीन),समन्वय समिति में अनुमोदनार्थ भेजने के प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी :–विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 के निर्णयानुसार पीएच.डी.अध्यादेश (नवीन) को लागू कर समन्वय समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण विचारार्थ।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि पीएच.डी.अध्यादेश (नवीन) प्रस्ताव को समन्वय समिति को प्रेषित किया जावे।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.15 डॉ. मनोहर दलाल, के प्रकरण में न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में विचार।

टिप्पणी :–कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2016 के विशय क्रमांक 21 के द्वारा श्री मनोहर दलाल के प्रकरण में न्यायाधिकरण के गठन हेतु सदस्यगणों का नाम निर्देशन किया गया है जिसके आधार पर विश्वविद्यालय का आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2016/1979,दिनांक 13.12.2016 द्वारा तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया। न्यायाधिकरण की बैठक दिनांक 23.06.2017 में न्यायाधिकरण द्वारा गठन प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किया गया दिशा निर्देश कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि डॉ. मनोहर दलाल प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में कार्यपरिषद द्वारा न्यायधिकरण का गठन किया जा चुका है। श्री मनोहर दलाल द्वारा गठित न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में न्यायाधिकरण की बैठक दिनांक 23.06.2017 में न्यायाधिकरण द्वारा गठन प्रक्रिया में सदस्यगणों की नियुक्ति एवं नाम निर्देशन बाबत निर्णय लेने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक Civil appeal No./2972/1980 में प्रदान किये गये निर्णय में समिति के गठन बाबत् अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा निवेदन किये जाने पर न्यायाधिकरण के गठन का आदेश प्रदान किया था। अनुबंध के अनुसार गठन निम्नानुसार परिभाषित है :–

1 एक कार्यपरिषद से नामांकित सदस्य
2 एक सभा (Court) द्वारा नामित सदस्य
3 एक इंडिपेंडेंट सदस्य कार्यपरिषद द्वारा नाम निर्देश जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रेंक के समकक्ष हो

विश्वविद्यालय सभा (Court) की बैठक आयोजित की जाकर सभा के द्वारा सदस्य का नाम निर्देशन प्राप्त किया जावे। न्यायाधिकरण के अन्य सदस्यगणों के नाम निर्देशन/संशोधन हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया जाता है।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

बैठक की पूरक कार्य सूची

विषय क्र.01. एम.बी.ए. अध्यादेश (New) समन्वय समिति में अनुमोदनार्थ भेजने के प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी :– विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.05.17 के निर्णयानुसार दिनांक 16.05.17 को आयोजित अध्ययन बोर्ड की बैठक के कार्याविवरण के निर्णयानुयार विद्यमान एम.बी.ए.अध्यादेश को रद्ध कर नवीन अध्यादेश लागु किया जाये एतद विचारार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि एम.बी.ए. अध्यादेश (New) प्रस्ताव को समन्वय समिति को प्रेषित किया जावे।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.02. विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु म.प्र. अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा भर्ती तथा पदोन्नति दिनांक 1974 में तकनीकी कर्मचारियों के लिये किये गये प्रावधान को ग्राहय करने बाबत्।

टिप्पणी :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के स्टेच्यू क्रं.–31 में विश्वविद्यालय तकनीकी कर्मचारियों की सेवा शर्तें दर्शायी गयी है। स्टेच्यू क्रं.–31 में संलग्न Appendix 'A' में पदों Classitication and State of Pay का विवरण दर्शाया गया है। इस Appendix 'A' में लेबोरेट्री तकनीशियन का पद वेतनमान 205–5–2640–6–270 ईबी–10–350–12–½375 तथा पुनरीक्षित वेतनमान स्केल 1998(1996) 4000–100–6000 तथा तकनीशियन सहायक वेतनमान 169–4–185–5–240 ईबी–6–278–10–300,पुनरीक्षित वेतनमान 3050–75–3950–80–4590 का उल्लेख है, लेकिन प्रयोगशाला परिचारक से प्रयोगशाला तकनीकी की पदोन्नति के लिये क्या शर्तें होगी, का कोई उल्लेख नहीं है। अतः तकनीकी पदों पर पदोन्नति हेतु गठित समिति की दिनांक 18.11.2016 को आयोजित बैठक में यह अनुशंसा की गयी है कि, शासन के महाविद्यालयों में मौजूद प्रयोगशाला परिचारकों को प्रयोगशाला तकनीकी के रूप में मौजूद पदोन्नति प्रावधान की भांति ही विश्वविद्यालय में प्रावधान करने हेतु विश्वविद्यालयीन समन्वय समिति को निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जावें। परिनियम क्रं.–31 भाग के अन्तर्गत बिन्दु क्रं. –4(दो)(बी) में निम्नानुसार सम्मिलित किया जावें। "Promotions of Techinical & Non Technical Staff Shall be According to M.P. State Government Rules".यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला परिचारक को प्रयोगशाला तकनीकी के रिक्त पद पर पदोन्नत् किये जाने हेतु उच्चशिक्षा विभाग, संचालनालय, म.प्र. के पत्र क्रं./4027/उशिसं/स्था/88 भोपाल, दिनांक 28.09.1988 एवं उच्चशिक्षा विभाग, संचालनालय, म.प्र. की अधिसूचना क्रं. /2564/0262/38–2/91 भोपाल, दिनांक 19.06.1991 द्वारा निर्देश एवं नियमावली जारी की गयी है, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक को प्रयोगशाला तकनीकी के रिक्त पद पर पदोन्नत् किये जाने हेतु विषय में प्रयोगशाला परिचारक को संबंधित विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 10+2 स्कीम की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये तथा प्रयोगशाला परिचारक के पद पर नियमित सेवा में 09 वर्ष का अनुभव होना चाहिये, अतः उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय, म.प्र. के पत्र क्रं. /4027/उशिसं/स्था/88,भोपाल,दिनांक 28.09.1988,एवं उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय,म.प्र.की अधिसूचना क्रं./2564/0262/38–2/91,भोपाल,दिनांक 19.06. 1991,द्वारा म.प्र. अपराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1974 में

तकनीकी पदों के संबंध में किये गये संशोधन को स्टेच्यू क्रं.–31,के संलग्न Appendix 'A' में जोड़कर अंगीकृत करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी परिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को समन्वय समिति को प्रेषित किया जावे।

(क्रियान्वयन–अकादमिक/प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.03 डॉ.मुरली मनोहर पाठक,आचार्य,संस्कृत अध्ययनशाला,के त्याग–पत्र की स्वीकृति प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी :–डॉ.मुरली मनोहर पाठक,आचार्य संस्कृत अध्ययनशाला के त्याग–पत्र की स्वीकृति के प्रकरण को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.04.2017 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त बैठक में विशय क्रमांक 02 पर लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरण पर विधिक अभिमत लिया गया है। प्राप्त विधिक अभिमत विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– डॉ. मुरली मनोहर पाठक, आचार्य संस्कृत अध्ययनशाला के त्याग–पत्र के संबंध में निर्णय लिया गया कि श्री पाठक का अभ्यावेदन नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेषित किये जाने की स्थिति में तथा प्राप्त विधिक अभिमत अनुसार त्याग–पत्र स्वीकृति की कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.04 विश्वविद्यालय समन्वय समिति में चिकित्सा भत्ता रू. 1,000/– के स्थान पर रू. 3,000/– किए जाने पर होने वाले व्यय भार पर विचार।

टिप्पणी :–उपर्युक्त विशय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग,भोपाल के पत्र,दिनांक 25.05.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रू.1,000/– के स्थान पर रू. 3,000/– दिए जाने पर कितना व्यय भार होगा। उक्त व्यय भार किसके द्वारा वहन किया जावेगा, के संबंध में जानकारी चाही गई है।

उक्त संबंध में लेखा विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान चिकित्सा भत्ता में देय राशि रू. 1,000/– देने पर प्रतिमाह 4,81,000/– का व्यय हो रहा है एवं चिकित्सा भत्ता राशि रू. 3,000/– होन पर रू. 9,62,000/– प्रतिमाह व्यय भार होना प्रस्तावित है। चिकित्सा भत्ते पर प्रतिमाह आने वाला अतिरिक्त व्यय भार विश्वविद्यालय अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन किया जावेगा। उक्त संबंध में जानकारी शासन को देने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि चिकित्सा भत्ते पर प्रतिमाह आने वाला अतिरिक्त व्यय भार की वित्तीय जानकारी प्रस्ताव अनुसार म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को भेजी जावे।

(क्रियान्वयन– प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.05 डॉ. मनोहर दलाल, के प्रकरण में न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में विचार।

टिप्पणी :–कार्यपरिषद की बैठक दि. 3.12.2016 के विषय क्रं. 21 के द्वारा डॉ. मनोहर दलाल के प्रकरण में न्यायाधिकरण के गठन हेतु सदस्यगणों का नाम निर्देशित किया गया है, जिसके आधार पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2016/1979, दिनांक 30.12.2016 द्वारा तीन सदस्यी न्यायाधिकरण का गठन किया गया। न्यायाधिकरण की बैठक दिनांक 23.6.2017 में न्यायाधिकरण द्वारा गठन प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रं. सिविल अपील नं. 2972 सन 1980 के अन्तर्गत निम्नानुसार आदेश प्रदान किया गया :–Having heard counsel for both sides we order as follows : The patitioner will be entitled to apply for the appointment of a Tribunal under clause 30 of the Agreement incorporated in the statute setting out the dispute within a month from this day. On receipt of the application the syndicate shall with in two months appoint a Tribunal for deciding the dispute."

निर्णयः– डॉ. मनोहर दलाल, के प्रकरण में मुख्य सूची के विषय क्रमांक 15 पर लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.06 भवन समिति की बैठक (दिनांक 01.07.2017 को आयोजित) के कार्यविवरण पर विचार।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि भवन समिति की बैठक दिनांक 01.07.2017 में समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन–विकास/यांत्रिक विभाग)

विषय क्रं.07 वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017 के कार्यवाहीविवरण के अनुमोदन पर विचार।

टिप्पणी :–उपरोक्त विशयान्तर्गत वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017 को पूर्वान्ह 12:30 बजे आयोजित की गई थी। बैठक के कार्यवाही विवरण संलग्न।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017 में समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)

विषय क्रं.08 मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए हवाई जहाज यात्रा भत्ते के स्थान पर रेल यात्रा का द्वितीय/तृतीय एसी का यात्रा भत्ता प्रदान किये जाने पर विचार।

टिप्पणी :–विश्वविद्यालय में परीक्षा /गोपनीय एवं अन्य प्रशासनिक कार्यो के लिये राज्य स्तर/बाहरी राज्यों से परीक्षक हवाई जहाज से यात्रा करते है। उक्त यात्रा का व्यय

मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए हवाई जहाज यात्रा भत्ते के स्थान पर रेल यात्रा का द्वितीय/तृतीय एसी का यात्रा भत्ता विद्यापरिशद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2017 में लिये गये निर्णय विचारार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में परीक्षा /गोपनीय एवं अन्य प्रशासनिक कार्यो के लिये राज्य स्तर/बाहरी राज्यों से आने वाले परीक्षकों को हवाई यात्रा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें रेल मार्ग के द्वितीय एसी श्रेणी के किराया के समकक्ष यात्रा भत्ता प्रदान किये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–परीक्षा/गोपनीय/अकादमिक/लेखा विभाग)

विषय क्रं.09 पुस्तकों की खरीदी हेतु पुस्तकालय समिति की अनुशंसा के अनुसार टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से पुस्तकों का क्रय किये जाने पर विचार।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि पुस्तकों की खरीदी हेतु पुस्तकालय समिति की अनुशंसा के अनुसार टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से पुस्तकों को क्रय की जाये। पुस्तकों की क्रय प्रक्रिया तथा निविदा के संबंध में अन्य विश्वविद्यालय, द्वारा अपनाई गई टेण्डर प्रक्रिया/निविदा के अनुसार पुस्तकों का क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–विकास/पुस्तकालय/लेखा विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

विषय क्रं.01 श्री मुंगाराम विश्वकर्मा, पेंशन प्रकरण में अपर संचालक, वित्त के पत्र क्र. 590 दिनांक 30.05.2017 अनुसार 01.03.2014 से 31.01.2015 तक की अवधि पेंशन योग्य मान्य किये जाने पर विचार।

टिप्पणी :– श्री मुंगाराम विश्वकर्मा की सेवा पुस्तिका में दो जन्म तिथियों अंकित होने के कारण उन्हें दिनांक 01.03.2014 को आदेश क्र. 2382 दिनांक 01.03.2014 के द्वारा सेवानिवृत्त किया गया, तद्पश्चात उनकी अकसूची में अंकित जन्म तिथि 12.01.1955 को माध्यमिक शिक्षा मण्डल,भोपाल से सत्यापित किये जाने के फलस्वरुप विश्वविद्यालय आदेश क्र. 1346,दिनांक 05.09.2016,के द्वारा दिनांक 31.01.2015,सेवानिवृत्ति तिथि मान्य किया गया जिसके आधार पर उनका पेंशन प्रकरण तैयार किया जानकारी शासन को प्रेषित की गई, फलस्वरुप शासन द्वारा दिनांक 31.01.2015 सेवानिवृत्ति तिथि अनुसार ही उनका पेंशन का अंतिम प्रतिवेदन जारी किया गया है, म.प्र. शासन कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा केपत्र क्रमांक/591/216/आउशि/पेंशन/2017,भोपाल, दिनांक 30.05.2017 द्वारा निर्धारित किया गया है कि, दिनांक 31.01.2015 की सेवानिवृत्ति मान्य कर वित्त नियंत्रक का अभिमत तथा दिनांक 01.03.2014 से 31.01.2015 को पेंशन की अवधि मान्य किया गया है। इस बाबत् कार्यपरिषद् का निर्णय भिजवाये। एतद् विचारार्थ।

निर्णयः— निर्णय लिया गया श्री मुंगाराम विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी के प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति मान्य की गई।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.02 शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए संविदा/अतिथि विद्वानों के आमंत्रण करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के नियमों को अंगीकृत करने पर विचार।

टिप्पणी :– शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयीन अध्ययन शालाओं एवं संस्थानों में शैक्षणिक आवश्यकताओं को औचित्य निर्धारण कर सुझाव देने के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2017/679, दिनांक 27/06/2017 के द्वारा गठित 06 सदस्यीय समिति की आयोजित व्यवस्था की जाने बाबत् प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना है। मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, के आदेश क्रमांक एफ–1–9/2012/38–1 भोपाल, दिनांक 22/02/2016 के द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि विद्वानों से अध्यापन की व्यवस्था संबंधी निर्देश जारी किये गये थे। (छायाप्रति संलग्न है) अतः शैक्षणिक सत्र 2017–18 में विश्वविद्यालय की अध्ययननशालाओं/संस्थानों/अध्ययन विभागों में मध्यप्रदेश शासन के उक्त परिपत्र के अनुसार शैक्षणिक व्यवस्था सुचारु बनाये रखने के लिये अतिथि विद्वानों के आमंत्रण की प्रक्रिया बाबत् प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए संविदा/अतिथि विद्वानों के आमंत्रण करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र अनुसार आमंत्रण की कार्यवाही की जाये। साथ ही तकनीकि पाठ्यक्रमों में इंजीनियरिंग/फार्मेसी आदि में एन.सी.टी.ई./ए.आई.सी.टी. द्वारा जारी दिशा/निर्देशों एवं नियमों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अतिथि विद्वानों के आमंत्रण बाबत् प्रदान किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.03 बेचलर आफ फार्मेसी अध्यादेश समन्वय समिति में अनुमोदनार्थ भेजने के प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी :– फामेर्सी काउन्सील नई दिल्ली द्वारा समस्त भारत वर्ष में बी.फार्मा में एक समान रुप से पाठ्यक्रम परीक्षा योजना एवं अध्यादेश लागु होने के संबंध में प्राप्त पत्र के परिपेक्ष्य में फामेर्सी अध्ययनमण्डल की बैठक दिनांक 04.07.2017 एवं विद्या परिषद की बैठक दिनांक 13.07.2017 के अनुशंसा अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र से नवीन अध्यादेश पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना लागु किये जाने पर विचार।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि बेचलर आफ फार्मेसी अध्यादेश के प्रस्ताव को समन्वय समिति को प्रेषित किया जावे।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.04 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन दिनांक 12.07.2017 में आर.डी.गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन में एम.बी.बी.एस. के छात्रों के साथ हो रही अनियमितताओं के संबंध में की गई शिकायत पर विचार।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन दिनांक 12.07.2017 में चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन के संबंध में की गई उपर्युक्तानुसार शिकायत की जांच करने हेतु समिति का गठन करने के लिये माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया जाता है।

(क्रियान्वयन–विद्यार्थी कल्याण विभाग)

विषय क्रं.05 विश्वविद्यालय में Integrated University Management System लागू किये जाने पर विचार।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में Integrated University Management System लागू करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.06 विश्वविद्यालय में Solar Power का उपयोग बढ़ाने पर विचार।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में Solar Power का उपयोग बढ़ाने संबंधी कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन– प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.07 विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष एवं निदेशक शारीरिक शिक्षक के एकल पदों की भर्ती हेतु पदो के विज्ञापन पर विचार।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष एवं निदेशक शारीरिक शिक्षक के एकल पदों की भर्ती हेतु मध्यप्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.08 भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नेशनल ऐकेडमिक डिपोजिटरी पर विचार।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही की जाये। साथ ही निर्णय लिया गया कि इस कार्य को प्रारम्भ करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/विकास विभाग)

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति **कुलसचिव**

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/735 दिनांक :- 10-11-17

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,

राजभवन,

भोपाल।

विषय :- **कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.11.2017 का कार्यविवरण विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.11.2017 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/736 दिनांक :- 10-11-17

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / कार्यपरि / 698 दि. 8-11-17

कार्यपरिषद्
की
बैठक का कार्यविवरण

स्थान :– माधव भवन, उज्जैन **तिथि :–07.11.2017**
समय :– अपरान्ह : 12:00 बजे

–:: उपस्थिति ::–

01. प्रो. एस. एस. पाण्डेय	–	कुलपति एवं अध्यक्ष
02. डॉ. नागेश शिन्दे	–	सदस्य
03. डॉ. बी. के. मेहता	–	सदस्य
04. डॉ. एच. पी. सिंह	–	सदस्य
05. श्री सुरेन्द्र गांधी	–	सदस्य
06. डॉ. श्रीमती उषा श्रीवास्तव (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग–उज्जैन)	–	सदस्य
07. डॉ. परीक्षित सिंह	–	कुलसचिव एवं सचिव

कार्यपरिषद के सभी सम्माननीय सदस्यगणों का माननीय कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी द्वारा स्वागत किया गया। कोरम के अभाव में बैठक की कार्यवाही रोकी जाकर पुनः आधे घंटे पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

विषय क्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24 जुलाई 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार। (कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

निर्णयः– कार्यपरिषद् की विगत बैठक दिनांक 24.07.2017 के विषय क्रमांक 4 में उपाधियों के मुद्रण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को मान्य किया जाये। साथ ही अध्यक्ष की अनुमति के विषय क्रमांक 5 में विश्वविद्यालय में Integrated University Management System लागू किये जाने के संबंध में समन्वय समिति/म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा के निर्णय के अनुक्रम में पृथक से टेंडर जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विषय क्रमांक 6 में विश्वविद्यालय में Solar Power एवं CCTV कैमरे स्थापित करने हेतु शासकीय ऐजेंसी के माध्यम से कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। अतः पूर्व निर्णयों को उक्तानुसार संशोधित करते हुए कार्यपरिषद् की विगत बैठक दिनांक 24 जुलाई 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017, 28.07.2017, 04.08.2017, 23.08.2017, 01.09.2017, 08.09.2017, 15.09.2017, 06.10.2017 एवं 27.10.2017 के कार्य विवरणों पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरण पटल पर प्रस्तुत किये जावेंगे।)

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017, 28.07.2017, 04.08.2017, 23.08.2017, 01.09.2017, 08.09.2017, 15.09.2017, 06.10.2017 एवं 27.10.2017 के कार्य विवरणों को अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.03. शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)

विषय क्र.04. डॉ. सर्वपालसिंह राणा को शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति प्रदान करने पर विचार।

टिप्पणीः– डॉ. सर्वपालसिंह राणा, सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी), शा.के.पी.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,देवास को डी.लिट्. उपाधि हेतु विलम्ब अवधि को विलोपित कर शोध प्रबंध जमा करने के संबंध में कार्यपरिषद् द्वारा दिये गये निर्णयानुसार विधिक अभिमत प्राप्त किया गया।(अभिमत पटल पर प्रस्तुत किया जावेगा।)

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि डॉ. सर्वपालसिंह राणा को शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में निम्नानुसार कार्यपरिषद की दो सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है :–

01. डॉ. नागेश शिन्दे (कार्यपरिषद सदस्य)
02. डॉ. (श्रीमती) उषा श्रीवास्तव (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग–उज्जैन)

उक्त समिति अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.05. स्व. डॉ. संजय दुबे, उपाचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के छठे वेतन से ग्रेज्युटी के अंतर की राशि के भुगतान पर विचार।

टिप्पणी :– स्व. डॉ. संजय दुबे, विक्रम विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद पर कार्यरत थे, डॉ. दुबे को विश्वविद्यालय के पत्र क्रं. 151, दिनांक 13.4.2005 के द्वारा दि. 15.4.2005 से गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में प्रतिनियुक्ति हेतु दो वर्ष के लिए कार्यमुक्त किया गया तद्पश्चात विश्वविद्यालय के पत्र क्रं. 707, दि. 17.4.2007 के द्वारा उक्त प्रतिनियुक्ति में आगामी एक वर्ष की वृद्धि करने की सहमति प्रदान की गई, तद्पश्चात विश्वविद्यालय के पत्र क्रं. 4061, दि. 15.4.08 के द्वारा पुनः एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति में वृद्धि की गई, प्रतिनियुक्ति में आगामी वृद्धि हेतु संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 10.7.09,के द्वारा दो वर्ष की वृद्धि की गई तद्पश्चात विश्वविद्यालय के पत्र क्रं.485,दि. 1.6.12 के द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि हेतु दि. 11.7.11 से 10.7.13 तक दो वर्ष के लिए सहमति प्रदान की गई, परन्तु डॉ. दुबे उक्त अवधि के मध्य दिनांक 13.9.2012 को

प्रतिनियुक्ति के दौरान ही स्वर्गीय हो चुके थे। चुंकि उनका नियोक्ता वि.वि., उज्जैन था इसलिए पेंशन/ग्रेज्युटी प्रकरण वि.वि., उज्जैन द्वारा तैयार किया गया था एवं पांचवे वेतन में ग्रेज्युटी का भुगतान भी विश्वविद्यालय स्तर से श्रीमती अनुपमा दुबे (पत्नि स्व. डॉ. संजय दुबे) को किया गया है एवं छठे वेतन से ग्रेज्युटी के अंतर की राशि के भुगतान के संबंध में विधिक राय प्राप्त की गई है जो निम्नानुसार है।

(श्री के.सी. शर्मा, विश्वविद्यालय विधि सलाहकार अनुसार लेख है कि विधिक अभिमत के लिए कोई प्रश्न उनके समकक्ष ही रखा गया है शायद शंका यह है कि चुंकि डॉ. संजय दुबे मृत्यु के समय गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में पदस्थ थे अतः उनकी ग्रेच्युटी राशि का भुगतान क्या गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ करेगा।

चुंकि डॉ. संजय दुबे का मूल विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन था और पेंशन एवं ग्रेच्युटी का प्रकरण विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये और भुगतान भी किये गये अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर यह प्रश्न नहीं उठाया गया है कि मृत्योपरांत भुगतान कौन करेगा इसलिए विश्वविद्यालय के द्वारा ही पेंशन एवं ग्रेच्युटी की राशि की गणना की जाकर भुगतान किया गया। अभी तो प्रश्न सिर्फ पांचवे एवं छठे वेतन में ग्रेच्युटी की राशि का जो अंतर आ रहा है इसका भुगतान कौन करेगा यह है। चुंकि पांचवे वेतन के अनुसार भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। अतः छठे वेतन लागू होने के उपरान्त अंतर की राशि का भुगतान करने की जवाबदारी भी वि.वि., उज्जैन की ही आयेगी। वर्तमान में तो इस संबंध में कोई विधिक आपत्ति दृष्टिगोचर नहीं होगी।)

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के अन्य सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों को दि. 1.1.2006 को स्थिति में छठा वेतन आडिट होने की स्थिति में छठे वेतन से ग्रेच्युटी के अंतर की राशि का भुगतान किया गया है, स्व. डॉ. संजय दुबे का दि. 1.1.06 की स्थिति में छठा वेतनमान आडिट से अनुमोदित हो गया है। एतद् विचारार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि स्व. डॉ. संजय दुबे, उपाचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के छठे वेतन से ग्रेज्युटी के अंतर की राशि के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र.06. स्व.श्री सहदेव प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान पर विचारार्थ।

टिप्पणी :– स्व.श्री सहदेव प्रसाद यादव,शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में भृत्य के पद पर कार्यरत थे,उनका परिवार पेंशन प्रकरण प्राचार्य द्वारा तैयार कर विश्वविद्यालय में प्रेषित किया गया, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मूलतः आयुक्त, कार्यालय में प्रेषित किया गया तद्पश्चात शासन स्तर से पी.पी.ओ. एवं जी.पी.ओ. जारी किया गया फलस्वरूप उनकी पत्नि श्रीमती प्रेमलता यादव शासन स्तर से पेंशन प्राप्त कर रही है प्रकरण में श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र स्व. श्री सहदेव प्रसाद यादव के द्वारा ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का भुगतान न होने की स्थिति में सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की गई है।

प्रकरण की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय एवं शासकीय माधव महाविद्यालय से सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा उन प्रकरणों में भुगतान किया गया था, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय एवं शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे। स्व. श्री सहदेव प्रसाद के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से किसी प्रकार के आदेश प्राप्त नहीं है परन्तु प्रकरण की सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत की गई है। एतद् विचारार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि स्व.श्री सहदेव प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान बाबत् मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.07. श्री सावलराव उल्हारे, सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के संबंध में विचारार्थ।

टिप्पणी :– श्री सावलराव उल्हारे दि.31.8.2015 को शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन से सेवानिवृत्त हुए है एवं शासन द्वारा श्री उल्हारे का पी.पी.ओ. जारी किया जा चुका है। फलस्वरूप वे शासन स्तर से पेंशन प्राप्त कर रहे है एवं इनकी ग्रेच्युटी हेतु शासन द्वारा जारी जी.पी.ओ.में कुलसचिव,विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है,तद्पश्चात अपर संचालक, वित उच्च शिक्षा विभाग,, म.प्र. शासन, के पत्र क्रं. 599, दि.18. 5.2017 के द्वारा श्री उल्हारे की ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में पत्र प्रेषित किया गया है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासकीय माधव महाविद्यालय, एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,के जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरण में न्यायालयीन निर्णय प्राप्त हुआ है।उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया गया है परन्तु श्री उल्हारे के प्रकरण में विश्वविद्यालय विधि प्रकोश्ठ से प्राप्त जानकारी अनुसार कोई न्यायालयीन निर्णय विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि श्री सावलराव उल्हारे, सेवानिवृत्त शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान बाबत् मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.08. श्री ग्यारसीलाल राठौर, सेवानिवृत्त, शासकीय माधव महाविद्यालय,के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में।

टिप्पणी :– श्री ग्यारसीलाल राठौर, दि.31.7.2012 को शासकीय माधव महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे, इनके अवकाश नगदीकरण एवं ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में मुख्यमंत्री समाधान आनलाईन दि.3.2.16 एवं उपसचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल के पत्र क्रं. 174/231/2016/38–3,दि.03.02.2016 में प्राप्त निर्देशानुसार दि.04.02.2016 को छठे वेतन में अवकाश नगदीकरण राशि रू. 134240 एवं पांचवे वेतन में ग्रेच्युटी की राशि रू. 151916 कुल राशि 286156/– जो प्राचार्य,शासकीय माधव महाविद्यालय,उज्जैन द्वारा प्रेषित की गयी का भुगतान किया गया था,तद्पश्चात प्रकरण में प्राचार्य, शासकीय माधव महाविद्यालय,उज्जैन द्वार ग्रेच्युटी की छठे वेतन में गझाना कर अंतर राशि रू. 124954/–के भुगतान हेतु पत्र क्रं. 299, दि.24.05.2017 प्रस्तुत किया गया, उक्तानुसार श्री ग्यारसीलाल राठौर को विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 18.08.2017 को भुगतान किया गया।

अतःश्री ग्यारसीलाल राठौर को अवकाश नगदीकरण एवं ग्रेच्युटी का सम्पूर्ण भुगतान छठे वेतन में किया गया है। एतद् सूचनार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि श्री ग्यारसीलाल राठौर, सेवानिवृत्त, शासकीय माधव महाविद्यालय के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान बाबत् मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.09. अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करने हेतु समिति के गठन के संबंध में विचार।

टिप्पणी :– विश्वविद्यालय की वर्ष 2017–18 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालयीन अध्यादेश क्रमांक–05 के कंडिका क्रमांक21(6–ए) के प्रावधान के अनुसार कार्यपरिषद् द्वारा समिति का गठन एक वर्ष के लिए किया जाना है। वर्ष 2016–17 की परीक्षा हेतु कार्यपरिषद् द्वारा गठित अनुचित साधन प्रकरण समिति का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है।

उपर्युक्त प्रकरण में तत्कालीन कुलपति महोदय, द्वारा नई समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है –

1. कार्यपरिषद् सदस्य–एक	प्रो.नागेश शिन्दे, आचार्य, सतत् शिक्षा, अ.शा., वि.वि. उज्जैन।
2. संकायाध्यक्षों में से–एक	प्रो.एच.एस.राठौर, आचार्य, प्राणिकीअ. शा., वि.वि. उज्जैन।
3. विद्यापरिषद् के शिक्षक सदस्यों में से–एक	डॉ.डी.एम.कुमावत, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण प्रबंध सं.वि.वि.उज्जैन।
4. प्राचार्य सदस्य – दो	डॉ.उषा श्रीवास्तव,प्राचार्य, शा.माधव विज्ञान महा. उज्जैन।
	डॉ. महेश शर्मा, प्राचार्य, शा.कालिदास कन्या महा.उज्जैन।
5. अध्ययनबोर्ड में मनोनीत छात्र में से–एक	.....
6. कुलसचिव–	पदेन

उक्त समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करने हेतु प्रस्ताव अनुसार समिति का गठन किया जाता है।

(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)

विषय क्र.10. प्रो.आर.पी.मित्तल,सेवानिवृत्त शासकीय माधव महाविद्यालय के छठे वेतन से ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के संबंध में विचारार्थ।

टिप्पणी :– प्रो.आर.पी.मित्तल,सेवानिवृत्त शासकीय माधव महाविद्यालय के छठे वेतन से ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय प्रदान किया गया है उस संबंध में विधिक अभिमत पत्रावली क्रं. 7 अनुसार राज्य शासन द्वारा भुगतान किया जाना है।

इस संबंध में लेख है कि इसी प्रकार के अन्य न्यायालयीन प्रकरणों में जो शासकीय माधव महाविद्यालय एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए है एवं न्यायालय द्वारा शासन का भुगतान के निर्देश दिए गए है परन्तु शासन द्वारा विश्वविद्यालय को भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है उन प्रकरणों में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद की स्वीकृति उपरान्त भुगतान किया गया है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रो. आर.पी. मित्तल के प्रकरण में शासन द्वारा विश्वविद्यालय को भुगतान के संबंध में किसी प्रकार के निर्देश प्रदान नहीं किये गये है।

एतद् विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि प्रो.आर.पी.मित्तल,सेवानिवृत्त शासकीय माधव महाविद्यालय के छठे वेतन से ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान बाबत् मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.11. भवन समिति की बैठक के कार्यविवरण के अनुमोदन पर विचार।
(कार्यविवरण संलग्न है।)

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि भवन समिति की बैठक दिनांक 24.10.2017 में भवन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन–यांत्रिकी/विकास विभाग)

विषय क्र.12. क्रय समिति की अनुशंसाओं पर विचार।
पूर्व एवं पश्चात परीक्षा परिणाम कार्य (Pre & Post Examination Result Processing)
(SOET हेतु उपकरण क्रय करने की अनुशंसा) (अनुशंसा पटल पर प्रस्तुत की जावेगी)
टिप्पणी :– उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नानुसार प्रस्तुत है कि :–
01. उच्च क्रय समिति की बैठक दिनांक 03.11.2017 को आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा पूर्व एवं पश्चात् कार्य हेतु जारी किये गये तृतीय निविदा प्रक्रिया में प्राप्त ई–निविदा पर विचार किया गया, जिसमें निविदाकर्ता फर्म में. ईमर्ज डाटा सर्विसेस, नागपुर द्वारा अत्यधिक बढी हुई दर से निविदा प्रस्तुत की। इस परिप्रेक्ष्य में उच्च क्रय समिति की बैठक दिनांक 03.11.2017 द्वारा अनुशंसा प्रदान की गई कि निविदाकर्ता फर्म से समान कार्य हेतु प्रचलित दर पर निगोशिएट किया जावे। पश्चातवर्ती संबंधित फर्म के डायरेक्टर दिनांक 06.11.2017 को उपस्थित हुए, उनसे वर्तमान सेमेस्टर परीक्षा कार्य हेतु चर्चा की गई। चर्चानुसार फर्म के डायरेक्टर श्री पाठक ने परीक्षा का कार्य पूर्व दर से 10 प्रतिशत अर्थात वर्तमान दर रू. 13.80 से 10 प्रतिशत अधिक राशि जोड कर अर्थात रू. 15.18 की दर से कार्य करने के प्रति अपनी सहमति का पत्र प्रस्तुत किया। आगामी परीक्षाओं को दृश्टि में रखते हुए फर्म से प्राप्त पत्रानुसार उक्त कार्य फर्म के माध्यम से संपादित किये जाने बाबत् प्रकरण पर विचार।
02. विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रयोगशालाओं के लिये उपकरण क्रय हेतु निविदाओं को प्रसारित किया गया था। इस अनुक्रम में प्राप्त निविदाओं पर उच्च क्रय समिति की बैठक में प्रक्रिया जारी है।

निर्णयः– क्रय समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में (पूर्व एवं पश्चात परीक्षा परिणाम कार्य) (Pre & Post Examination Result Processing) कार्य हेतु निर्धारित बजट प्रवाधन के अंतर्गत आवश्यकतानुसार वास्तविक व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम बनाने वाली फर्म से वर्तमान दर रू. 13.80 से 10 प्रतिशत अधिक दर पर कार्य संपादित करवाये जाने बाबत् प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।
SOET हेतु उपकरण क्रय करने के संबंध में उच्च क्रय समिति द्वारा की जा रही कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

(क्रियान्वयन–विकास/परीक्षा/एस.ओ.ई.टी./भंडार विभाग)

विषय क्रं. 13. विश्वविद्यालय के प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन हेतु म.प्र. माध्यम, भोपाल को रूपये 787489/– के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।
टिप्पणी :– उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि,सत्र 2017–18 में विश्वविद्यालय में प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन म.प्र. माध्यम,भोपाल के द्वारा राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय समाचार–पत्रों में छपवाया गया था। म.प्र. माध्यम, भोपाल से निम्नानुसार दो देयक भुगतान हेतु प्राप्त हुये है :–

1. देयक क्रं./87391, दिनांक 28.06.2017 रूपये 787489/–
   कुल योग **रूपये 787489/–**
2. अतः म.प्र. माध्यम,भोपाल को रूपये 787489/– के भुगतान की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन हेतु म.प्र. माध्यम, भोपाल को रूपये 787489/– के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–विकास/परीक्षा/एस.ओ.ई.टी./लेखा विभाग)

विषय क्रं. 14. राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2017–18 के आयोजन व्यय पर विचार।

टिप्पणी :– म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग,के पत्र क्रमांक/373/200/एन.एस.एस./17/अड़तीस,भोपाल,दिनांक 14.09.2017 को पत्र प्राप्त हुआ। जिसके सम्बन्ध में राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2017–18 विष्वविद्यालय में दिनांक 08 से 10 नवम्बर 2017 के मध्य कराया जाना है। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2017–18 के आयोजन हेतु अनुमानित 15 लॉख रूप्ये व्यय भार आयेगा। अनुमोनित व्यय भार का विवरण निम्नानुसार है :–

01. पुरस्कार एवं शील्ड आदि	रू. 45,000/–
02. अतिथियों हेतु स्मृति चिन्ह	रू. 20,000/–
03. फ्लेक्स निर्माण	रू. 18,000/–
04. फाटो ग्राफी एवं विडियों	रू. 12,000/–
05. टेन्ट सामग्री एवं मंच निर्माण	रू. 1,50,000/–
06. अध्यक्षों एवं निर्णायक मण्डल का मानदेय	रू. 50,000/–
07. वाहन भत्ता/ यात्रा भत्ता	रू. 40,000/–
08. साऊंड विद्युत सज्जा एवं स्टेज पर माईक मिक्सर आदि	रू. 50,000/–
09. प्रतिभागियों एवं अतिथियों समिति सदस्यों का भोजन एवं चाय नाश्ता आदि 1300 x 250 x 3	रू. 9,75,000/–
10. हार फुल मंच सज्जा आदि	रू. 50,000/–
11. स्टेशनरी, प्रिटींग एवं आकस्मिक व्यय	रू. 60,000/–
योग	**14,70,000/–**

प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2017–18 के आयोजन व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। वास्तविक व्यय स्वीकृत राशि से अधिक होने की स्थिति में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये।

(क्रियान्वयन–वि.क.वि./लेखा विभाग)

विषय क्रं. 15. विश्वविद्यालय के समस्त पेंशनर्स के छठवे वेतनमान में दि. 01.01.06 से पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान हेतु सहमति के संबंध में विचारार्थ।

टिप्पणी :– उपरोक्त विषयान्तर्गत अवर सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल के पत्र क्रमांक 1217/1570/2017/38–3 दि. 28.9.17 संलग्न अनुसार न्यायालयीन निर्णय के पालन में विश्वविद्यालय के समस्त पेंशनर्स को दि. 1.1.06 से लागू छठे वेतनमान में दि. 1.1.06 से दि. 31.3.14 तक भुगतान किये जाने वाले पेंशन स्वत्वों के भुगतान में आने वाले व्यय भार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं वहन किये जाने एवं दि. 1.4.14 से 30.10.17 तक की अवधि के व्यय भार हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा कारपस फण्ड में राशि तीन करोड स्वयं के स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष 2018–19 में जमा किये जाने के संबंध में सहमति पत्र चाहा गया है।

इस संबंध में लेख है कि, वि.वि. के पेंशनर्स समाज के द्वारा न्यायालय में म.प्र. शासन के विरूद्ध दि. 1.1.06 से 31.3.14 तक छठे वेतन में पेंशन के भुगतान हेतु याचिका दायर की गई थी जिसमें विश्वविद्यालय को पार्टी नहीं बनाया गया था एवं न्यायालय द्वारा शासन को उक्त अवधि के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है परन्तु शासन द्वारा समस्त विश्वविद्यालय को स्वयं के स्त्रोतो से भुगतान किये जाने की सहमति चाही गयी है।

इसी प्रकरण के अनुक्रम में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल के पत्र क्रं. 876, दि. 17.7.15 अनुसार दि. 1.1.06 से 31.3.14 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के छठे वेतन में पेंशन के व्यय भार की गणना कर जानकारी चाही गयी थी फलस्वरूप विश्वविद्यालय के पत्र क्रं. 760, दि. 25.7.15 के द्वारा अनुमानित गणना कर राशि रू. 14 करोड व्यय भार का पत्र प्रेषित किया गया था यहॉ यह उल्लेखनीय है कि दि. 1.1.06 से 31.3.14 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो पांचवे वेतन में पेंशन का भुगतान

शासन द्वारा किया गया है उसका आकलन शासन द्वारा ही किया जा सकता है जो अनुमानित 7 करोड रूपये हो सकता है। अतः अन्तर की अनुमानित राशि रू. 7 करोड होगी।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अवर सचिव, म.प्र. शासन, का प्राप्त पत्र दि. 28.9.17 में समस्त पेंशनर्स को दि. 1.1.06 से 31.3.14 तक के छठे वेतन के व्यय भार हेतु विश्वविद्यालय के स्वयं के स्त्रोतो से भुगतान हेतु सहमति चाही गयी है के संबंध में लेख है कि दि. 1.4.87 से पेंशन योजना विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाता है एवं शासन द्वारा ही पेंशन का भुगतान कर समय–समय पर नवीन लागू वेतनमान अनुसार पुनरीक्षण किया जाता है एवं पेंशनर्स द्वारा संबंधित बैकों में ही जीवित प्रमाण प्रस्तुत कर निरन्तर पेंशन प्राप्त की जा रही है जिस कारण विश्वविद्यालय में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है कि कुल कितने पेंशनर्स शासन से पेंशन प्राप्त कर रहे है जिस कारण दि. 1.4.87 से आज दिनांक तक छठे वेतन में अन्तर की पेंशन राशि का व्यय भार विश्वविद्यालय स्तर से तैयार नहीं किया जा सकता है,उक्त जानकारी शासन स्तर से ही तैयार की जाना संभव है। एतद् विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के समस्त पेंशनर्स के छठवे वेतनमान में दि. 01.01.06 से पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान के संबंध विश्वविद्यालय द्वारा कारपस फण्ड में राशि तीन करोड वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये तीन किश्तों में जमा किये जाने की सहमति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस संबंध में तीन किश्तों में भुगतान की सहमति के लिये उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को अवगत कराये जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्रं. 16. पुस्तकालय में विभिन्न अध्यनशालाओं में अध्ययन अध्यापन हेतु बजट प्रावधानानुसार रू. 50,00000/– की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि पुस्तकालय में विभिन्न अध्यनशालाओं में अध्ययन अध्यापन हेतु पुस्तक क्रय करने बाबद् बजट प्रावधानानुसार रू. 50,00,000/– (रू. पचास लाख) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार रूसा (RUSA) अथवा किन्हीं अन्य प्रदायी प्राधिकारियों से यदि कोई अनुदान राशि इस कार्य हेतु प्राप्त होती है तो वर्तमान क्रय प्रक्रिया में इसे सम्मिलित करते हुए कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–पुस्तकाध्यक्ष/विकास/लेखा विभाग)

विषय क्रं. 17. डॉ.एस.के.मांजू,निलंबित,आचार्य,भौमिकी अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन की बहाली पर विचार।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि डॉ. एस. के. मांजू, निलंबित, आचार्य, भौमिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की बहाली के संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से प्रकरण को संपूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

विषय क्र.01. विश्वविद्यालय के दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्र. एम.पी./13/जीए./165 टाटा ट्रक–407 के इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट कर बिक्री किया जाने की सहमति पर विचार।

टिप्पणी :– विश्वविद्यालय का वाहन क्रमांक एमपी./13/जीए/0165 टाटा ट्रक–407 विश्वविद्यालयीन गोपनीय कार्य से मंदसौर–नीमच भेजा गया था, जो कि लोटते समय उज्जैन जावरा रोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिसे टाटा कम्पनी के सर्वीस सेंटर भेजा जा कर न्यु इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के सर्वेयर तथा कम्पनी के तकनीशियन द्वारा सर्वे किया गया। जिसमें मरम्मत कार्य हेतु अत्याधिक व्यय का आकलन किया गया तथा कम्पनी द्वारा सर्वेयर द्वारा उक्त वाहन का क्लेम सेटलमेंट कर वाहन क्षतिग्रस्त हालत में बिक्री किया जाने हेतु अपनी राय प्रस्तुत की गई।

अतः प्राप्त स्वीकृति पश्चात् उक्त वाहन को टोटल लास (क्षतिग्रस्त हालत में बिक्री किया जाने हेतु) किऐ जाने हेतु प्रकरण अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्र. एम.पी./13/जीए./165 टाटा ट्रक–407 के संबंध में प्रस्ताव अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–यांत्रिक/गोपनीय/भंडार विभाग)

विषय क्र.02. विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग के उपयोगार्थ 02 नग नवीन वाहन तथा क्षतिग्रस्त वाहन क्र. एमपी./13/जीए./.165/ टाटा ट्रक – 407 के स्थान पर 01 नग नवीन ट्रक टाटा–407 क्रय करने की स्वीकृति पर विचार्।

टिप्पणी :–कार्य–परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 06/02/2017 के निर्णयानुसार पुराने अनुपयागी वाहनों को बिक्री कर 02 नग वाहन क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई थी। किन्तु पुराने 03 नग अनुपयोगी वाहनों को बिक्री हेतु प्रथम एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण पश्चात भी किसी निविदाकार द्वारा भाग नही लिया गया है। अतः पुराने वाहनों की बिक्री पूर्व गोपनीय विभाग की आवश्यकतानुसार 02 नग वाहन क्रय किया जाना है। साथ ही विश्वविद्यालय का क्षतिग्रस्त वाहन एमपी./13/जीए./.165/ टाटा ट्रक–407 के स्थान पर नवीन टाटा ट्रक वाहन क्रय किया जाना है।

अतः कुल 03 नग नवीन वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रकरण अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग के उपयोगार्थ 02 नग नवीन वाहन तथा क्षतिग्रस्त वाहन क्र एमपी./13/जीए./.165/ टाटा ट्रक – 407 के स्थान पर 01 और अतिरिक्त वाहन क्रय करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–यांत्रिक/गोपनीय/भंडार/लेखा विभाग)

विषय क्र.03. विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभिन्न भवनों की आवश्यक मरम्मत, रख–रखाव एवं रंगाई पुताई कार्य के द्वितीय कुल देयक का भुगतान स्वीकृति बाबत्।

टिप्पणी :– विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभिन्न भवनों की आवश्यक मरम्मत, रख–रखाव एवं रंगाई पुताई कार्य हेतु भवन समिति की बैठक दिनांक 15/07/1016 एवं कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 18/07/2016 को स्वीकृति एवं अनुमोदित किया जा कर ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसमें उक्त कार्य हेतु मे. रोहित कुमार विसवाडियॉ, उज्जैन द्वारा प्रस्तुत 40.11% कम एसओआर स्वीकृत की गई थी, जिसके अनुसार रु. 2994500/–

का कार्य किया जाना हैं, जिसके चल देयक रु. 1143724/– भुगतान किया जाना है, जो कि उपरोक्त राशी की सीमा के अंतर्गत हैं।

अतः द्वितीय चल देयक रु. 1143724/– के भुगतान हेतु प्रकरण अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभिन्न भवनों की आवश्यक मरम्मत, रख–रखाव एवं रंगाई पुताई कार्य के द्वितीय चल देयक रु. 1143724/– भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। भुगतान प्रक्रिया में यदि कोई विसंगति अथवा किसी प्रकार अनियमितता दर्शित हुई है तो प्रभारी यंत्री, को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचना पत्र के जवाब को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(क्रियान्वयन–यांत्रिक/विकास/लेखा/प्रशासन विभाग)

विषय क्र.04. अप्रैल–मई 2017 में आयोजित द्वितीय, चतुर्थ षष्ठम एवं अष्ठम सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्रों की चेकिंग पारिश्रमिक भुगतान स्वीकृति पर विचार।

टिप्पणी :–अप्रैल–मई 2017 में आयोजित द्वितीय, चतुर्थ षष्ठम एवं अष्ठम सेमेस्टर (मुख्य, एटीकेटी, स्वाध्यायी, पूर्व छात्र एवं स्पेशल एटीकेटी) परीक्षा तथा पूर्व संचालित सेमेस्टर परीक्षाओं में ऑन लाईन 628 कुल 1,40,257 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए है। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23/01/2006 के बिन्दु क्रमांक 12 में निर्णय "वर्ष 2006 की मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों एवं पुर्नमुल्यांकन के फार्म की जांच हेतु पारिश्रमिक रुपये 04/– के स्थान पर रुपये 05/– देने हेतु स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि आगामी 05 वर्ष तक इस पारिश्रमिक में वृद्धि नही की जाएगी।"

उक्त निर्णय के परिपालन में परीक्षा विभाग के अधिकारी एंव कर्मचारियों को रुपये 05/– प्रति परीक्षा आवेदन की दर से कुल रुपये 7,01,285/– (सात लाख एक हजार दौसौ पिच्चायासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ।

निर्णयः– अप्रैल–मई 2017 में आयोजित द्वितीय, चतुर्थ षष्ठम एवं अष्ठम सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्रों की चेकिंग पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में कार्यपरिषद द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार उक्त भुगतान कुल रुपये 7,01,285/– (सात लाख एक हजार दौसौ पिच्चायासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। भविष्य में इस संपूर्ण प्रक्रिया पर समग्र विचार किये जाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का निर्धारण किया जाये।

(क्रियान्वयन–परीक्षा/लेखा विभाग)

विषय क्र.05. डॉ. प्रमोद कुमार वर्मा, आचार्य भू–विज्ञान अध्ययनशाला, वि. वि. उज्जैन को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में प्रो. वाईस चान्सलर के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरुप उक्त पद का कार्यग्रहण करने हेतु प्रो. वर्मा कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 11/08/2017 को अपरान्ह से आगामी आदेशार्थ हेतु स्वत्वभार (लियन) की स्वीकृति एवं कार्य मुक्त किया गया। एतद् सूचनार्थ।

टिप्पणी :– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/शिक्षकीय/2017/1115, दिनांक 11/08/2017 के द्वारा डॉ. प्रमोद कुमार वर्मा, आचार्य भू–विज्ञान अध्ययनशाला, वि. वि. उज्जैन को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में वाईस चान्सलर के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरुप कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में आगामी आदेशार्थ। दिनांक 11/08/2017 से 11/08/2018 तक एक वर्ष तक का स्वत्वभार (लियन) की स्वीकृति एवं कार्यमुक्त करने हेतु सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ विचारार्थ।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि डॉ. प्रमोद कुमार वर्मा, आचार्य भू–विज्ञान अध्ययनशाला, वि. वि. उज्जैन के लियन की स्वीकृति की प्रदान की जाकर सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.06. श्री राजेन्द्र परिहार म्युजियम सहायक प्राणिकी अध्यनशाला की चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि रुपये 1,46,771/– के भुगतान् सूचनार्थ।

टिप्पणी :– उपर्युक्त विषय में श्री राजेन्द्र परिहार, म्युजियम सहायक, की गंभीर बीमारी प्रेक्रीटाईटिस संबंधी शल्य चिकित्सा हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में सिविल सर्जन, जिला उज्जैन को कार्यालयीन पत्र दिनांक 18/09/1017 को प्रेषित किया गया, जिसमें श्री राजेन्द्र परिहार द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/चिकित्सा देयको का परीक्षण कर उक्त बीमारी, गम्भीर (बीमारी) की श्रेणी में आने के संबंध में अभिमत चाहा गया। उक्त पत्रों के उत्तर में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन के पत्र दिनांक 28/09/2017 के द्वारा सूचित किया गया है कि :–

डॉ. एच.पी. सोनानीया मेडिकल स्पेलिस्ट जिला चिकित्यालय उज्जैन द्वारा चिकित्या प्रतिपूर्ति का अवलोकन (परीक्षण) किया गया कि राजेन्द्र परिहार Pancreatitis रोग से पीडित होने के कारण मेदांता हास्पिटल, इन्दौर में कराया गया उपचार उचित है गंभीर बीमारी की श्रेणी में आता है। अतः नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावे।

उक्त संबंध में प्रस्तुत है कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. डी. 3002/3366/98/सी–सी/38 भोपाल दिनांक 17/09/1998 द्वार गंभीर बीमारी में हाने वाले चिकित्या व्यय की प्रतिपूति के संबंध मं विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 55 वीं बैठक दिनांक 08 मार्च 1997 और 58 वीं बैठक दिनांक 03/06/1998 में लिए गए निर्णय अनुसार हृदय बायपास सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, ब्रेन टयूमर, केंसर, डायलीसिस जैसी गंभी बीमारियों के कारण हास्पिटिलाईजेषन पर हाने वाले व्यय की पूर्ति समस्त विश्वविद्यालय द्वारा उन्हीं शर्तों एवं नियमों के अनुसार की जाए कि राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को लागु होते है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि श्री राजेन्द्र परिहार म्युजियम सहायक प्राणिकी अध्यनशाला की चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि रुपये 1,46,771/– के भुगतान् की नियमानुसार वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र.07. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03/12/2016 में विषय क्रमांक 09 मं लिये निर्णय हेतु प्रबंध संकाय के परिणाम के संबंध पर विचार।

टिप्पणी :–प्रबंध संकाय की पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा के परीणाम से संबंधित आपत्ति पर कार्यपरिष् द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 27/10/1017 से प्राप्त सील बन्द लिफाफे में समिति की अनुशंसा (अतिंम रिपोर्ट) कार्यपरिषद में रखने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण काफी ज्यादा पुराना है। अतः प्रबंध संकाय की पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया पुनः से की जाये।

(क्रियान्वयन–परीक्षा/गोपनीय विभाग)

विषय क्र.08. विश्वविद्यालय के क्रीड़ा विभाग में वर्ष 2017–18 के लिए पश्चिम क्षेत्रीय व अखिल भारतीय स्तर पर विक्रम विश्वविद्यालय का दल सहभागिता करने वाले खिलाडियों / प्रशिक्षकों / व्यवस्थापाकों के लिए 450 नग ट्रेकसुट व 473 नग ब्लेजर एवं 473 नग क्रेस्ट क्रय किये जाने हेतु क्रीड़ा बजट मद 8(13) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार।

टिप्पणी :– उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 24/07/2017 को क्रीडा समिति की बैठक के निर्णयानुसार सत्र 2017–18 हेतु पश्चिम क्षेत्रीय व अखिल भारतीय स्तर पर विक्रम

विश्वविद्यालय का दल सहभागिता करने वाले खिलाडियों / प्रशिक्षकों / व्यवस्थापाकों के लिए 450 नग ट्रेकसुट व 473 नग ब्लेजर एवं 473 नग क्रेस्ट क्रीड़ा विभाग के लिए वं मांग अनुसार राज्य स्तरीय युवा उत्सव के सहभागिता करने वाले सांस्कृतिक दल हेतु विद्यार्थी कल्याण विभाग के लिए 60 नग (जो कि शामिल है) ब्लेजर क्रय किया जाना है।

उक्त ट्रेकसूट व ब्लेजर एवं क्रेस्ट क्रय किये जाने कुल राशि 10,51,600/– का अनुमानित व्यय होगा। जो कि क्रीड़ा बजट मद 8(13) से होगा जिसमें कुल राशि का 20 प्रतिशत कटोत्रा होने के बाद कुल राशि 14.40 लाख का प्रावधान है।

उक्त ट्रेकसूट व ब्लेजर एवं क्रेस्ट क्रय किये जाने हेतु क्रीडा विभाग बजट मद 8(13) से राशि रुपये 10,51,600/– के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के क्रीड़ा विभाग में वर्ष 2017–18 के लिए पश्चिम क्षेत्रीय व अखिल भारतीय स्तर पर विक्रम विश्वविद्यालय का दल सहभागिता करने वाले खिलाडियों / प्रशिक्षकों / व्यवस्थापाकों के लिए 450 नग ट्रेकसुट व 473 नग ब्लेजर एवं 473 नग क्रेस्ट क्रय करने हेतु राशि रुपये 10,51,600/– के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–शा. शिक्षा विभाग/भंडार/लेखा विभाग)

विषय क्र.09. विक्रम विश्वविद्यालय के एस.ओ.ई.टी. संस्थान में उपकरण क्रय करने जारी निविदा विज्ञप्ति अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रयोगशाला उपकरण क्रय का प्रावधान है। अतः 12 वीं पंचवर्षीय योजना की राशि से रु. 55 लाख की वित्तीय स्वीकृति पर विचार।

टिप्पणी :–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12 वीं पंचवर्षीय योजना के पत्र क्र.F.N.57-1-2012 SU(I) Date 29 Aug 2017 द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2017 को राशि 70,81,680/– इस प्रकार कुल राशि/2,36,05,600/–RTGS द्वारा प्राप्त हुई। इस प्रकार विश्विद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आवंटित राशि रु.15.53 करोड़ के विरुद्ध कुल प्राप्त राशि 8,57,25,600/– तथा कुल व्यय राशि रु. 6,56,39,933/– का हुआ। व्यय राशि को घटाने के पश्चात 12 वीं पंचवर्षीय योजना में राशि रु. 2,00,85,667/– शेष रहते है।
अतः विश्वविद्यालय के एस.ओ.ई.टी. संस्थान में उपकरण क्रय करने हेतु जारी निविदा विज्ञप्ति अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12 वीं पंचवर्षीय योजना की शेष राशि से 55 लाख की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय के एस.ओ.ई.टी. संस्थान में उपकरण क्रय करने हेतु जारी निविदा विज्ञप्ति अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति से 12वीं पंचवर्षीय विकास योजना में प्रयोगशाला उपकरण क्रय करने हेतु राशि से रु. 55.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–एस.ओ.ई.टी./लेखा/विकास/भंडार विभाग)

विषय क्र.10. विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को 7वां वेतनमान प्रदान करने पर विचार।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को 7वां वेतनमान शासन के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से, विश्वविद्यालय के लिये सातवें वेतन आयोग बाबत् स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् तदनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाये।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र.11. विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को लागू समयमान वेतनमान योजना का संशोधित आदेश प्रसारित किए जाने पर विचार।

टिप्पणी :– म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रं एफ–11–1/2008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.01.2008 के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दि. 18.6.2009 के निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय में समयमान वेतनमान आदेश क्रं./प्रशा./संस्था./2009/978, दि. 20.7.09 के द्वारा लागू किया गया। कार्यपरिषद के उक्त निर्णय के तारतम्य में विश्वविद्यालय द्वारा दि. 22.08.09 को 14 कर्मचारियों का समयमान वेतनमान स्वीकृति संबंधी आदेश प्रसारित किया गया। उक्त आदेश के तारतम्य में कर्मचारियों का किया गया वेतन निर्धारण अंकेक्षण द्वारा मान्य नहीं किया गया।

विश्वविद्यालय के आवासीय सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पत्र दि. 27.9.2017 के द्वारा सूचित किया गया कि, क्रमोनन्ति योजना को संशोधित करते हुए ही समयमान वेतनमान लागु किया गया है एवं इस योजना का लाभ सेवा के उन कर्मचारियों को उपलब्ध होगा जिनके लिये पृथक से कोई योजना लागु नही है ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा दोनो योजनाओं को एक साथ प्रभावशील किया जाना उचित नहीं है एवं क्रमोन्नति योजना के स्थान पर संशोधित अनुसार समयमान वेतनमान लागू किया जाना स्वीकृति पश्चात उचित होगा।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,भोपाल के पत्र क्रं एफ–11–1/2008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.01.2008 द्वारा उक्त संशोधित योजना दि. 01अप्रेल, 2006 से प्रभावशील की गई है।

ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वित्त विभाग के पूर्व प्रसारित क्रमोन्नति योजना के तहत प्राप्त कर रहे वेतन को अपास्त करते हुए दि. 01.04.2006 से समयमान वेतनमान दिए जाने हेतु संशोधित आदेश प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को म.प्र. शासन द्वारा लागू समयमान वेतनमान योजना का संशोधित आदेश प्रसारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि क्रमोन्नत्ति अथवा समयमान वेतनमान दोनों में से एक समय में एक योजना का ही लाभ पात्र कर्मचारियों को प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र.12. बजट मद क्रं.–(2) परीक्षा परिव्यय के उपशीर्ष क्रं.–2(27) एवं 2(28) से राशि रुपये 30.00 लाख का अन्तरण बजट मद क्रं.–(2) के उपशीर्ष क्रं.–2(26)(2) में अन्तरण करने पर विचार।

टिप्पणी :– वित्तीय वर्ष 2017–2018 के बजट मद क्रं.–(2) परीक्षा परिव्यय के मुख्य शीर्ष 2(26)(2) उपाधि एवं प्रमाण–पत्रों का मुद्रण/लेखन तथा परीक्षाफलों का सारणीयन में प्रावधानित राशि रुपये 80.00 लाख में से अनुमानित राशि रुपये 65.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2017 सेमेस्टर परीक्षायें एवं माह मार्च, 2018 में मुख्य नियमित/स्वाध्यायी परीक्षायें आयोजित की जाना है। उक्त परीक्षा कार्य को दृष्टिगत रखते बजट मद क्रं.–2(26)(2) में राशि अन्तरण करना आवश्यक है। अतः बजट मद क्रं.–2(27) परीक्षकों को पारिश्रमिक/मूल्यांकन व्यय मद से राशि रुपये 20.00 लाख एवं बजट मद क्रं.–2(28) वीक्षण/केन्द्र परिव्यय मद से राशि रुपये 10.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 30.00 लाख का अन्तरण बजट मद क्रं.–2(26)(2) उपाधि एवं प्रमाण–पत्रों का मुद्रण/लेखन तथा परीक्षाफलों का सारणीयन मद में अन्तरण करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि बजट मद क्रं.–(2) परीक्षा परिव्यय के उपशीर्ष क्रं.–2(27) एवं 2(28)से राशि रुपये 30.00 लाख, प्रस्ताव अनुसार बजट मद क्रं.–(2) के उपशीर्ष क्रं.–2(26)(2) में अन्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)

विषय क्र.13. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी आवासगृहों में टूट–फूट एवं मरम्मत कार्य करवाये जाने पर विचार।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी आवासगृहों में टूट–फूट एवं मरम्मत कार्यों हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुसार राशि रू. 53,15,000/–(रूपये तिरपन लाख पंद्रह हजार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–यांत्रिक/विकास/लेखा विभाग)

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव